रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 1971 (पौष 4, 1893)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25, 1971 (PAUSA 4, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

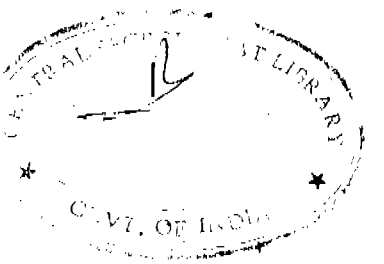

...RAL ... T LIBRARY
GVT. OF INDIA

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* **mentioned above will** be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	1059
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1863
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	121
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1503
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	5263
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	6717
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	1051
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1727
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	471
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	187
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	2753
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	247
पूरक संख्या 52—	
18 दिसम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	2171
27 नवम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	2181

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1059
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1863
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	131
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1503
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	5263
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	6717
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	1051
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1727
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	471
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	187
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2753
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	247
SUPPLEMENT No. 52—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 18th December 1971 ..	2171
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week end 20th November 1971	2181

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 1971

सं० 73-प्रेज/71—राष्ट्रपति सहर्ष आदेश देते हैं कि रक्षा मैडल 1965 के संस्थापन के सम्बन्ध में दिनांक 11 फरवरी, 1967 को भारतीय राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 14-प्रेज/67, दिनांक 26 जनवरी 1967 में, धारा चतुर्थ के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :—

"चतुर्थ-मैडल निम्नलिखित को प्रदान किया जायेगा :—

(क) सशस्त्र सेनाओं के सब कार्मिक, जोकि 5 अगस्त, 1965 को सशस्त्र सेना की प्रभावी शक्ति में थे तथा जो उस तिथि तक 180 अथवा इससे अधिक दिन सेवा कर चुके हों ;

(ख) अर्ध सैनिक यूनिटों के कार्मिक, जो सेना के संक्रियात्मक नियंत्रण में थे तथा जिन्होंने 5 अगस्त, 1965 को 180 अथवा इससे अधिक दिन सेवा की हो;

(ग) अर्ध सैनिक यूनिटों के कार्मिक, जिन्हें संक्रियात्मक कार्यवाहियों में भाग लेना था और वे ऐसे क्षत्र में थे जिनके लिए उन्हें समर सेवा स्टार 1965 मिल सकता था बशर्ते कि ऊपर (ख) में दी गई सेवा अवधि की शर्त पूरी होती हो ।

यह मैडल मरणोपरान्त प्रदान किया जा सकता है।"

सं० 74-प्रेज/71—राष्ट्रपति जम्मू एवं कश्मीर के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सैयद यूसुफ,
कांस्टेबल नं० 1114,
जिला श्रीनगर पुलिस,
जम्मू व कश्मीर ।

श्री अब्दुल अजीज,
कांस्टेबल नं० 562,
जिला श्रीनगर पुलिस,
जम्मू व कश्मीर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

घाटी में विनाश तथा तोड़-फोड़ करने के उद्देश्य से 25/26 जुलाई, 1968 की रात को 9 व्यक्तियों के एक दल ने इस्लामिया कालेज, श्रीनगर के सुरक्षित कक्ष, जहां राष्ट्रीय कैडेट कोर की राइफलें रखी थीं, के ताले को तोड़ने के लिए कालेज पर छापा मारा । आक्रमण करने से पहले गिरोह ने टेलीफोन और बिजली के तार काट दिए थे । 26 जुलाई, 1968 को प्रातः गश्त करते समय कांस्टेबल श्री सैयद यूसुफ और श्री अब्दुल अजीज को इस्लामिया कालेज की ओर से कुछ शोर सुनाई दिया वे दोनों तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति छुरे से कालेज के चौकीदार पर आक्रमण कर रहे थे । यद्यपि श्री सैयद युसुफ और श्री अब्दुल अजीज निहत्थे थे तथापि अपने जीवन की परवाह न करते हुए वे सशस्त्र आक्रमणकारियों पर टूट पड़े । भीषण संघर्ष के बाद उन्होंने एक आक्रमणकारी पर काबू पा लिया और उसका छुरा छीन लिया । उन्होंने जख्मी चौकीदार को अस्पताल पहुंचा दिया ।

श्री सैयद यूसुफ और अब्दुल अजीज द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस तथा कर्तव्य-परायणता के कारण ही तोड़-फोड़ करने वालों द्वारा सुरक्षित कक्ष के ताले तोड़ने का प्रयत्न विफल किया जा सका ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जुलाई, 1968 से दिया जायेगा ।

सं० 75-प्रेज/71—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सदूल सिंह,
प्लाटून कमान्डर,
राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
राजस्थान ।

श्री गोविन्द सिंह,
प्लाटून कमान्डर,
राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
राजस्थान ।
श्री दौलत सिंह,
हैड कांस्टेबल,
राजस्थान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

लज्जा और कुंवर जी डाकुओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में आतंक फैला रखा था । 17 जुलाई, 1970 को धौलपुर सब-डिवीजन के तोर गांव में इन डाकुओं की उपस्थिति के बारे में पुलिस को सूचना मिली । सूचना मिलते ही धौलपुर में उपलब्ध पुलिस दल को एकत्र किया और उसे चार टुकड़ियों में विभाजित कर दिया गया। तीन टुकड़ियों को तो क्रमशः रेलप लाइन तथा तोर गांव की दांई व बाई ओर तैनात कर दिया गया और चौथी टुकड़ी संचालन दल के रूप में गांव की ओर बढ़ी ।

बचकर भागने के डाकुओं के प्रयत्न को रोकने तथा गांव का घेरा डालने के लिए श्री सदूल सिंह को रेलवे लाइन पर नियुक्त किया गया । डाकुओं ने घेरे से बाहर निकलने का प्रयत्न किया । डाकू लज्जा ने अपने साथियों की गोलियों की आड़ में रेलवे लाइन को पार करने का जी तोड़ प्रयत्न किया । उसने स्वयं भी जल्दी जल्दी गोलियां चलाईं । यद्यपि श्री सदूल सिंह डाकुओं की भारी गोलाबारी के बिल्कुल सामने थे, फिर भी वह अपने मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने उत्कृष्ट साहस व कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और उस रास्ते से किसी भी डाकू को बचकर नहीं भागने दिया । इस तीव्र गोलाबारी में डाकू लज्जा मारा गया । श्री सदूल सिंह की वीरता के कारण डाकुओं ने अन्ततः उस ओर से पुलिस के घेरे को तोड़ने का विचार छोड़ दिया ।

डाकू लज्जा के मारे जाने के बाद डाकू-गिरोह के अन्य सदस्य बचकर भाग निकलने के उद्देश्य से कई जत्थे बनाकर गांव में एकत्रित हुए । कुछ डाकू गांव के दक्षिण भाग में एकत्र हो गये और उन्होंने उन गड्ढों में , जो ग्रामीणों ने ईंटें बनाने के लिए खोदे थे, मोर्चा बना लिया । डाकुओं ने श्री गोविन्द सिंह पर भारी गोलाबारी की और बचकर भाग निकलने का प्रयत्न किया । परन्तु श्री गोविन्द सिंह अपने मोर्चे पर डटे रहे और अपने औसान नहीं खोये । उन्होंने डाकू कन्चन को मार दिया और दूसरे डाकुओं को भी बचकर भागने नहीं दिया । उन्होंने असाधारण उत्कृष्ट वीरता एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

लगभग 14 घंटे तक डाकुओं के साथ संघर्ष चलता रहा और बहुत से डाकू मारे गये । शेष डाकू झुम्मा के झुंड की ओर दौड़े और पुलिस दल पर गोली चलाई । डाकू अपनी जान बचाने के लिए हताश प्रयत्न कर रहे थे । श्री दौलतसिंह ने महान साहस का परिचय दिया तथा दो डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया ।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1970 से दिया जाएगा ।

सं० 76-प्रेज/71—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कल्याण सिंह,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
धौलपुर,
राजस्थान ।
श्री रिसाल सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
धौलपुर,
राजस्थान ।
श्री दीप नाथ,
कांस्टेबल,
धौलपुर,
राजस्थान ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

लज्जा और कुंवरजी डाकुओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में आतंक फैला रखा था । 17 जुलाई, 1971 को धौलपुर सब-डिवीजन के तोर गांव में इन डाकुओं की उपस्थिति के बारे में पुलिस को सूचना मिली । सूचना मिलने पर धौलपुर में उपलब्ध पुलिस दल को एकत्र किया और उसे चार टुकड़ियों में विभाजित कर दिया गया । तीन टुकड़ियों को क्रमशः रेलवे लाइन तथा तोर गांव की दाईं व बाईं ओर तैनात कर दिया गया और चौथी टुकड़ी संचालन दल के रूप में गांव की ओर बढ़ी ।

श्री कल्याण सिंह ने डाकुओं के विरुद्ध सारी कार्यवाही की योजना बनाई । गांव को घेरने के लिए उन्होंने स्वयं पुलिस दल का नेतत्व किया और अपनी जान को खतरे में डाला । इस मुठभेड़ में, जो लगभग 18 घंटे तक चली, श्री कल्याण सिंह दल में विश्वास उत्पन्न करते रहे और अपने दल के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे । मुठभेड़ के बीच डाकू कुंवरजी एक दुमंजले मकान की छत पर चढ़ गया और उसने वहां मोर्चा संभाल कर पुलिस पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । श्री कल्याण सिंह ब्रेन गन चलाने वाले के समीप गये और उसे मकान की छत की ओर निशाना लगाने का निदेश दिया । इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप डाकू कुंवरजी मारा गया । श्री कल्याण सिंह ने मुठभेड़ में उत्कृष्ट साहस और अनुकरणीय नेतत्व का परिचय दिया ।

पुलिस उप-निरीक्षक श्री रिसाल सिंह सशस्त्र पुलिस दल के इन्चार्ज थे। उन्होंने पुलिस दल को विभिन्न टुकड़ियों में विभाजित किया। इसी बीच श्री रिसाल सिंह ने देखा कि कुछ डाकू पास में एक झुण्डा में छिप गए हैं। यकायक डाकू राम सिंह उनकी राईफल ले भागा और उसे श्री रिसाल सिंह पर तान दिया। उन्होंने तुरन्त उसे दबा डाला और गोली से मार दिया। वीरता के इस निर्भीक कार्य में श्री रिसाल सिंह ने कर्तव्यपरायणता और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

श्री दीप नाथ को डाकुओं के बचकर भागने के रास्ते को रोकने के लिए रेलवे लाइन के निकट नियुक्त किया गया था। डाकू लज्जा ने बचकर भाग निकलने के लिए रेलवे लाइन को पार करने का प्रयत्न किया और दीपनाथ पर गोली चलाई परन्तु श्री दीप नाथ और श्री सदुल सिंह, जो उसके साथ था, दृढ़ता से डटे रहे और गोली का जवाब देते रहे। यद्यपि श्री दीपनाथ डाकुओं की भारी गोलाबारी के बिल्कुल सामने थे फिर भी वे मोर्चे पर डटे रहे और निराकुलता एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत श्री रिसाल सिंह पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री दीप नाथ, कांस्टेबल को विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 1970 से दिया जाएगा।

दिनांक 16 दिसम्बर 1971

सं० 77-प्रेज़—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अशोक कुमार,

सहायक कमांडेंट,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 78-प्रेज़—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

सहायक कमांडेंट,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 79-प्रेज़/71—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करता है।

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आनन्द सिंह

कीस्टेबल सं० 68104637,

"ए" कम्पनी, 104 बटालियन

सीमा सुरक्षा दल **स्वर्गीय**

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 अप्रैल 1971 से दिया जायेगा।

सं० 80-71—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारीयों के नाम तथा पद

श्री भारत भूषण,

सहायक कमांडेंट (अब उप-कमांडेंट)

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

श्री मनोहर सिंह,

निरीक्षक,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप श्री मनोहर सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अप्रैल 1971 से दिया जाएगा।

सं० 81-प्रेज़—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करें हैं:—

अधिकारीयों के नाम तथा पद

श्री जसवन्त सिंह बाजवा,

सहायक कमांडेंट,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

श्री हरभजन सिंह,

हैड कांस्टेबल,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

श्री निरंजन प्रसाद,

हैड कांस्टेबल,

सीमा सुरक्षा दल अकादमी

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप श्री हरभजन सिंह और श्री निरंजन प्रसाद को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 अप्रैल, 1971 से दिया जाएगा।

सं 82-प्रेंज—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करें हैं।

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बी० एस० गर्चा,
उप कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा दल अकादमी।

श्री देवी सिंह,
नायक,
74वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप श्री देवी सिंह नायक को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अप्रैल 1971 से दिया जायेगा।

सं० 83-प्रेंज—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री के० के० भारद्वाज,
सहायक कमांडेंट
26वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

नागेन्द्र सिंह
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 1, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971

नियम

सं० 416/71-अ० भा० से० (4)—भारतीय वन सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं:—

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग "ग" के राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (भाग "ग" के राज्य) आदेश, 1951 जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियां व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टैंजानिया (भूतपूर्व टैंगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

5. (क) उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जुलाई, 1972 को 20 वर्ष की पूरी हो गई हो किन्तु 24 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जुलाई, 1948 से पहले और 1 जुलाई, 1952 के बाद नहीं हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में निम्नलिखित स्थितियों में और छूट दी जा सकती है:—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी-पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रेन्च भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(5) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्री लंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत-श्रीलंका करार के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गण-राज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(9) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा, से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(11) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(12) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी।

6. उम्मीदवार के पास कम से कम परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में से किसी से प्राप्त वनस्पति विज्ञान, रसायन, भूविज्ञान, गणित, भौतिक और प्राणि-विज्ञान में से एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि में स्नातक उपाधि अथवा इंजीनियरी की स्नातक उपाधि होनी चाहिए या परिशिष्ट 1-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामीनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा में प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

नोट II—विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट III—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट 1 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अनुमति अवश्य लेनी होगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-प्रमाण पत्र (सर्टीफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

12. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई

अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा वारित किया जाना :

(I) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से।

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अन्तर्गत नौकरियों के लिए।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा के इंटरव्यू के लिए बुलाएगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणामस्वरूप व्यक्तित्व जांच के लिए सफलता प्राप्त करता है तो उसको अलग से कहा जायेगा कि वह अपनी तरजीह का गृह मंत्रालय को सूचित करे जिसके अनुसार विभिन्न राज्य संवर्गों में आवंटन के लिए उसके नाम पर विचार किया जाए।

15. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी। यह भर्ती आरक्षित रूप में न होकर इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों ना हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों।

16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इसमें नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवालें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

19. ऐसा कोई पुरुष/स्त्री—

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो,

इस सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे पुरुष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो, उन पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय हो, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है।

20. भारत सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह किसी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जो विवाहित है, भारतीय वन सेवा में नियुक्ति न करे अथवा नियुक्ति के बाद अगर वह विवाह कर ले तो उससे त्याग-पत्र मांग ले, यदि ऐसा करना सेवा की कुशलता बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक हो।

21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती हैं।

22. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है।

एम० आर० भारद्वाज
अवर सचिव

परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(नियम 6 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिए जाने की घोषणा हो चुकी हो।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रेंगून विश्वविद्यालय।
माडले विश्वविद्यालय।

इंगलैण्ड और वैल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीडस, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शैफील्ड और वैल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।
नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैण्ड।
क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वलिद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।
ढाका विश्वविद्यालय।
सिंध विश्वविद्यालय।
राजशाही विश्वविद्यालय।

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू।

परिशिष्ट 1-क

परीक्षा के प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची
(नियम 6 के अनुसार)

*1. फ्रांसीसी परीक्षा, "Propedeutique"

*2. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसल आफ रूरल हायर एजूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

*3. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

*4. अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम" यदि "पूर्णछात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

*5. भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलोर की सहवृत्ति या शिक्षावृत्ति।

6. वरिष्ट सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एजूकेशन) से इंजीनियरी या तकनीकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा।

7. इंजीनियरों की संस्था (इंडिया) की सह-सदस्यता की परीक्षा के 'क' और 'ख' भाग।

8. लाभोरो कालेज, लेसेस्टर शायर का सिविल या यांत्रिक इंजीनियरी का आनर्स डिप्लोमा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने प्राथमिक परीक्षा पास कर ली हो या उससे उसे छूट दे दी गई हो।

*नोट :—1 से 8 तक की योग्यताए तब तक स्वीकृत नहीं होगी, जब तक उम्मीदवार इन विषयों में से कम से कम किसी एक में पास नहीं हो :—वनस्पति विज्ञान, रसायन भू-विज्ञान, गणित, भौतिकी तथा प्राणि-विज्ञान।

परिशिष्ट II

खंड 1

लिखित परीक्षा की रूपरेखा—

भारतीय वन सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के विषय:—

(क) लिखित परीक्षा—

(i) दो अनिवार्य विषय, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। (नीचे खड-II का उपखड (अ) देखें पूर्णांक : 300

(ii) निम्नलिखित खंड-II के उपखड (ख) में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से चुने गए विषय 1 इस उपखड की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमें कोई दो विषय ले सकते हैं।
पूर्णांक—400।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा से साक्षात्कार के लिए (इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (ख) के अनुसार) बुलाए जाएगे—
पूर्णांक : 200।

खंड II

परीक्षा के विषय

अनिवार्य विषय (ऊपर खंड 1 के उपखंड क (1) के अनुसार—

(अ) (1)	सामान्य अंग्रेजी	पूर्णांक : 150
(2)	सामान्य ज्ञान	,, : 150

(ब) ऐच्छिक विषय—(ऊपर खंड 1 के उपखंड क (ii) के अनुसार :

(1)	कृषि-विज्ञान	पूर्णांक : 200
(2)	वनस्पति-विज्ञान	,, : 200
(3)	रसायन	,, : 200
(4)	सिविल इंजीनियरी	,, : 200
(5)	भू-विज्ञान	,, : 200
(6)	कृषि-इंजीनियरी	,, : 200
(7)	रसायन-इंजीनियरी	, : 200

(8) गणित ,, 200

(9) यांत्रिक इंजीनियरी ,, 200

(10) भौतिकी ,, 200

(11) प्राणि-विज्ञान ,, 200

परन्तु उपयुक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी—

(i) कोई भी उम्मीदवार उपर्युक्त विषयों (1) और (6) में से दोनों विषय नहीं ले सकता है।

(ii) कोई भी उम्मीदवार उपर्युक्त विषयों (3) और (7) में से दोनों विषय नहीं ले सकता।

नोट :—ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

खंड III

1. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी सामान्य में ही लिखने होंगे।

2. उपर्युक्त खंड II के उपखंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न का उत्तर अपने हाथों से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

5. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

6. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई है।

8. उम्मीदवारों से तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए।

अनुसूची

भाग—क

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान/इंजीनियरी ग्रेजुएट से आशा की जाती है।

अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि (पास) के समान होगा।

किसी भी विषय में व्यावहारिक परीक्षा नहीं ली जाएगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे जिनसे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर प्रयोग की जांच हो सके।

सामान्यतः संक्षेप-लेखन या सार-लेखन के लिए अवतरण दिए जाएंगे।

(2) सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

(3) कृषि

उम्मीदवार प्रश्नों के उत्तर (क) और (ख) या (क) और (ग) देंगे।

(क) कृषि अर्थशास्त्र

कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र, अध्ययन का तात्पर्य तथा अन्य विज्ञानों से संबंध, भारतीय आर्थिक स्थिति में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय आय को उसकी देन, अन्य देशों से तुलना, भारतीय कृषि-उत्पादन, बिक्री, श्रम, उधार इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन।

फार्म प्रबंध के अध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा क्षेत्र, अन्य भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से संबद्ध धारणाएं तथा फार्म प्रबंधक मूल सिद्धांत। फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके। पृथ्वी, जल, श्रम और साज-सज्जा, फार्म की दक्षता को मापने के तरीके, फार्म हिसाब-रक्षा के प्रकार और उद्देश्य, फार्म के अभिलेख तथा लेखा, आर्थिक लेखा।

(ख) शस्य-विज्ञान

फसल उत्पादन—खरीफ की फसलों का विस्तृत अध्ययन, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, सनई, मूंग, उर्द—उनके परिचय सहित बंटन, वपनीय खेत तैयार करना, अच्छे प्रकार के बीज बोना और बीजों की दर, मिलाकर बोना, फसल काटना और अच्छे फसल की पैदावार की मात्रा।

रबी की महत्वपूर्ण फसलों का विस्तृत अध्ययन, गेंहूं, जौ, चना, सरसों, ईख, तंबाकू, बेरसीम, उनके इतिहास, बंटन, भूमि तथा जलवायु की आवश्यकताएं, बीज की क्यारियों की तैयारी, उत्तम प्रकार की किस्में बोना और बीज की दर, निराई, गुड़ाई, कटाई, भंडार में रखना फसलों की भौतिक मात्रा।

घास-पात और घास-पात नियंत्रण—घास-पात का वर्गीकरण, आवास तथा भारत में आवश्यक घास-पात की किस्में। घास-पात द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानियां। घास-पात के परिक्षेपण की एजेन्सियां और घास-पात के सांस्कृतिक, जैविक, और रसायनिक नियंत्रण।

सिंचाई और जल-निकास के सिद्धांत—सिंचाई के जल की आवश्यकता और स्रोत, फसलों को जल की आवश्यकता की मात्रा साधारण जल, की लिफ्टें जल मान, सिंचाई के जल को व्यर्थ जाने से रोकना, सिंचाई के तरीके और ढंग और प्रत्येक ढंग के लाभ और

कमियां। सिंचाई के जल की मात्रा, पथ्वी की नमी और पथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व। जल-निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण क्षति पहुंचना, जल निकास के ढंग।

(ग) मृदा-विज्ञान और मृदा-संरक्षण

मृदा की परिभाषा, इसके मुख्य अंग, भूमि के प्रोफाइल, भूमि के खनिज कोलाइड्ज, धनायन विनियम क्षमता, आधार संतृप्ति प्रतिशत, आयन विनियम, पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ, भूमि में उनकी आकृति और पौधे को पोषक बनाने में उनका कार्य, जैव पदार्थ, इसका गलना, और इसका भूमि के उपजाऊ होने पर प्रभाव, एसिड और क्षारीय मृदा, उनकी बनावट और भूमि-उद्धार। भूमि के तत्वों पर आर्गेनिक खादों, हरी खादों और उर्वरकों का प्रभाव। साधारण नाइट्रोजनीफास्फेटिक और पोटेशिय उर्वरकों के गुण।

यांत्रिक बनावट और भूमि की रचना, भूमि रंध्रकाश, भूमि संरचना, भूमि जल, भूमि-जल के प्रकार, इसकी रुकने की क्रिया, भूमि-जल का सुलभ होना तथा भूमि-जल का माप। भूमि का तापमान भूमि-वायु तथा इसका महत्व। भूमि-संरचना, इसके प्रकार तथा भूमि के भौतिक रसायनिक गुणों पर उनका प्रभाव।

मृदा-आकारिकी और मृदा का सर्वेक्षण—भूमि का टूटना मृदा बनाने वाली चट्टानें और खनिजें, मृदा के बनाने में उनका संगठन और महत्व। चट्टानों तथा खनिजों का अपक्षय, मृदा बनने के कारण और रीतियां संसार के महान मृदा-समूह तथा उनका कृषि संबंधी महत्व। भारतीय मृदाओं का अध्ययन। मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण।

भूमि-संरक्षण के सिद्धांत—मृदा का अपरदन। अपरदन के कारण, भूमि संरक्षण, शस्य तथा इंजीनियरी के प्रचलित तरीकों से संबंधित मृदा के गुण, कृषि भूमियों के लिए भूमि में जल निकास की आवश्यकताएं तथा प्रचलित तरीके, भूमि-प्रयोग का वर्गीकरण, भूमि-संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रम।

(4) वनस्पति-विज्ञान

1. पादप जगत का सर्वेक्षण—पशुओं तथा पादप में अंतर जीवित-प्राणियों के गुण : एक सैल तथा अधिक सैल वाले प्राणी : वाइरस : पादप जगत के विभाजन का आधार।

2. आकारिका—(i) एक सैल वाले पादप—सैल, इसकी बनावट तथा अंग : सैलों का विभाजन तथा गुणन।

(ii) अधिक सैल वाले पादप—

संवहनी और संवहनी-रहित पादपों के तनों में भिन्नता संवहनी पादपों की बाहरी तथा आंतरिक आकारिकी।

3. जीवन-इतिहास—नीचे दिए गए पादपों में से कम से कम एक प्रकार के पादप का अध्ययन :—जीवाणु, साइऐनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, फीकोमीसैल्स, एसकोमीसाइटस, बेसी डाइयोमोसाइट्स, लिवरपोर्टस्, काईयां, टेरीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्मज और एंजिओस्पर्मज।

4. वर्गिको—वर्गीकरण के सिद्धांत : एंजियोस्पर्मज के वर्गीकरण के प्रमुख ढंग : निम्न प्रजातियों की प्रत्यक्ष आकृतियां तथा आर्थिक महत्व :—रैकीनिया, साइटेमिनाएं, पामएसियाएं, लिली-एसाइसी, आरकीडेसाइसी, मोराइसी, लोरेंथाइसी, मेग्नोलइसी, लीराइसी, ब्रूसीफ्राए, रोसाइसी, लेगूमाइनोसाई, सथाइसी, मेलियाइसी, यूफोरबाइसी एनाकोडायसी, माइरटाइसी, अम्बेलीप्रवई, लेनियाटाई, सोलेनाइसी, रूबियासिआई, कुकुरबाइटेसयाई, वरबनाइसी और कम्पोजिटाई।

5. पादप-कार्मिको—स्वपोषण, परपोषण, जल तथा पोषक पदार्थों को भीतर लेना, वाष्पोत्सर्जन, संश्लेषण, खनिज के पोषक पदार्थ, श्वसरन, बढ़ना, जननः पादप। पशु संबंध, सहजीवन, परजीवन, किण्वक, औक्सीमज, हार्मोन्ज, फोटो पैरियोडिज्म।

6. पादप रोग विज्ञान—पादप-रोगों के कारण तथा उपचार। रोगी—अंग वाइरस, घटी से रोग, रोग से बचाव।

7. पादप परिस्थिति विज्ञान—परिस्थिति तथा पादप भूगोल से संबंधित मूल तथ्य, विशेषतया भारतीय फ्लोरा तथा भारतीय वनस्पति-विज्ञान क्षेत्रों से संबंधित।

8. सामान्य जीव विज्ञान-साइटोलोजी, उत्पत्ति, पादप प्रजनन, छंटनी, मेन्डलवाट, संकर-ओज, उत्परिवर्तन, उत्पत्ति।

9. आर्थिक वनस्पति विज्ञान—पादपों के आर्थिक प्रयोग, विशेषकर पुष्प-पादप, मानव हित के संबंध में, विशेषकर ऐसे वनस्पति उत्पादन से संबंधित जैसे अन्न, दालें, फल, चीनी और चावल, तिल, मसाले, पेय तूंत, लकड़ी, रबड़ दवाइयां तथा आवश्यक तेल।

10. वनस्पति-विज्ञान का इतिहास—वनस्पति-विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास की सामान्य जानकारी।

(5) रसायन

1. अकार्बनिक रसायन—बोहर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। इलैक्ट्रोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोन आवधिक नियम। अणु केंद्रिक, प्राकृतिक रेडियोरर्ग कृवता समस्यानिक। रासायनिक बान्ड की प्रकृति का प्रारंभिक उपचार। संकर-लवण, जड़ गैसे। अधिक सामान्य तथा उपयोगी तत्वों तथा उनके योगिकों का रसायन। सामान्य आक्सीडाइजिंग तथा अपचायक। लोहा, ताम्र, अलमोनियम, सोना, चांदी, निकिल, जिंक और सीसा के धातुकर्म। शीशा, सिलीकेट, नाइट्रोजन निर्धारण। बनावटी खादें। लोह व्यवसाय।

रासायनिक विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांत।

2. कार्बनिक रसायन—पैट्रोलियम उत्पाद। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीन कार्बन परमाणु के एलीफैटिक श्रृंखला योगिक के सरल व्युत्पन्न का रसायन एल्कोहाल, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, हैलाइड, ईस्टर, ईथर, अम्ल एनाहाइड्राइड, क्लोराइड, तथा एमाइड। मोनोबेसिक हाइड्रेकिसी, केटोनिक तथा एमीनो अम्ल।

कार्ब-कात्विक योगिक मेलोनिक तथा ऐसीटोऐसीटिक ईस्टर, टारटारिक, साइट्रिक, मैलीक, और सुगंधित अम्ल। स्टीरियो और ज्योमेट्रिक आइसोमेनिजम, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लूकोज सहित।

कोलतार वासवन की उत्पाद, इसके सरल व्युत्पन्नका बेन्जीन तथा रसायन : टोलीन, एकस्लीन, फूनपेलज, हेलाइड, नाइट्रो तथा एमोनो योगिक बेनजोहक, सेलहसाइलिक सिनामिक मेन्डलिस्क तथा खल्थेनिक अम्ल। एटोमेटिक, एलडीहाइड्स तथा कीडोन। डाइजो, अजो तथा हाइड्रेक्लो योगिक। एरोमेटिक प्रति स्थापना।

3. भौतिक रसायन—किन्नेटिक के गसों के सिद्धांत, वान-डेर वाल का समीकरण, क्रान्टिक अवस्था गैसों का द्रवण। द्रव्यों के कुछ भौतिक गुण, डाईल्यूट साल्यूशन के विषय में वान्ट हौफ के सिद्धांत से संबंधित ओस्मोटिक दबाव तथा संबंधित गुण। द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम। प्रतिक्रियाओं की दर और क्रम, ताप, प्रतिक्रिया-दरों का गुणांक। इलैक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटनी चालकता और उसके प्रयोग। आयन संयलन। आसवाल्ड का तनुता-नियम, जल का आयनन-सिथारांक, जल-अपघटन, विलेचतौ-उत्पाद। अम्ल और आधार संबंधी लुईस को धारणा। उभय-प्रतिरोधी-विलयन।

सूचकों का पी० एच० मूल्य और सिद्धांत।

कोलाइड्ज़, लियोफोबिक और लियोफिलिक, उनके सामान्य गुण, अवशोषण। उत्प्रेरण।

विषमांगी साम्य, प्रावस्था नियम और एक घटकीय तंत्र पर उसका प्रयोग।

क्वांटम परिकल्पना, फोटो रसायन के नियम।

(6) सिविल इंजीनियरिंग

(1) भवन निर्माण कार्य सामग्री तथा उस सामग्री के गुण :

भवन निर्माण की सामग्री—इमारती लकड़ी, ईंट, चूना, टाइल, सड सुर्खी, मोर्टार तथा कंक्रीट, धातु तथा कांच—इंजीनि-यरिंग में प्रयुक्त होने वाली धातु और एलाइल के गुण।

स्ट्रैस तथा स्ट्रेन—सिद्धांत—बैंडिंग। डारशन हाइरेक्ट स्ट्रेस, शहतीरों के मुड़ने का इलास्टिक सिद्धांत; केन्द्रीय रूप से बोझा पड़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव। बेंडिंग मूमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम तथा स्थिर और चलायमान दबाव के अधीन शहतीरों का विक्षेप।

(2) भवन निर्माण, जल प्रदाय और सफाई से संबंधित इंजिनियरिंग निर्माण ईंट तथा पत्थर की चिनाई—दीवारों फर्श तथा छत जीने, लकड़ी के फर्श, छतें, दरवाजे, खिड़किया तैयार करना और प्लास्टर कोने ठीक करना, पेंट तथा वार्निश आदि संबंधित अंतिम कार्य।

स्वायल (भूसंबंधी) मिकेनिक्स—भूमि से संबंधित खोज, भार वाहन और भवनों की नीवों से संबंधित ज्ञान—डिजाइन बनाने के सिद्धांत।

भवन निर्माण संबंधी अनुमान तैयार करना—सिद्धांत नाप की इकाइयां भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा होने वाले व्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तैयार करना।

जल प्रदाय—पानी के स्रोत, विशुद्धता की मात्रा, शुद्ध करने के ढंग, जल प्रदाय के ढंग, पंप तथा बूस्टर आदि की रूपरेखा तैयार करना।

सफाई-गंदी नालियों, तूफान से बढ़े हुए पानी के लिए और मकानों के लिए अपेक्षित नालियों की आवश्यकताएं जांचना, सेपिटक टेंक, इमहाफ टेंक, सीवेज बनाने तथा कचरे को लिटाने के लिए खाइयां तैयार करना—एक्टीवेटिड स्लग पद्धति।

(3) सड़क तथा पुलों का सर्वेक्षण तथा एकरेखन (अलाइन-मेंट)—राजपथ के लिए अपेक्षित सामग्री तथा उनके उपयोग—डिजाइन के सिद्धांत—नींव तथा पटरियों के केम्बर, ग्रडिएंट, मोड़ और सुपर एलिवेशन—रिटेनिंग वाल्स।

निर्माण—कच्ची सड़कों, स्थिर तथा पानी से बने हुए मैकेडम सड़कें, बिटुमिनस तलवाली तथा कंक्रीट की सड़कें, सड़कों पर नालियां, पुल—उनके प्रकार, मिकेनिकल स्पेन, आई० आर० सी० लोडिंग, छोटे पुलों के ऊपरी ढांचों के डिज़ाइन बनाने, पुलों तथा पायर और कुएं बनाने, पाय तथा अध्याधार की नींव के डिज़ाइन तैयार करने के सिद्धांत।

प्रक्कलन तैयार करना:—

सड़कों और नहरों के लिए खुदाई का काम।

(4) समरचना इंजीनियरिंग—इस्पता के ढांचे, अनुमत ढांचे, शहतीरों, साधारण तथा तैयार किये गए लट्ठे और साधारण छत के ट्रस और गार्डरों के डिज़ायन तैयार करना, स्तम्भों के आधार तथा चारों ओर से व बीच से दबाब पड़ने वाले स्तम्भों के लिए ढांचे बनाना—चटकनी लगे, रिपट लगे हुए और वैल्ड किए हुए जोड़।

आर० सी० सी० स्ट्रक्चर (ढांचे)—प्रयुक्त सामान का विवरण—अपेक्षित मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आवंटन करना, डिज़ाइन लोड्स के लिए भारतीय मानक संस्थान के मानक, आर० सी० सी० के पदार्थों में अनुमत स्ट्रेस—जोड़ सीधे और बैंडिंग स्ट्रेस के अनुसार हों। साधारण रूप से सहारे के साथ लटकते हुए केन्टी लीवर लट्ठे, चोकोर तथा टी की शक्ल के लट्ठे जो फर्शों, छत्तों और लिंटल में प्रयुक्त होते हों—चारों चारों ओर से दबाव सहारने वाले स्तम्भ तथा उनके आधार।

(7) भू-विज्ञान

(1) सामान्य भू-विज्ञान—

भूमि की उत्पत्ति, आयु तथा इसका भीतरी भाग, विभिन्न भूविज्ञान संबंधी तत्व तथा स्थलाकृति विज्ञान पर उनके प्रभाव। ऋतुएं तथा भू-रक्षण, उनका वर्गीकरण तथा भारत में मिट्टी की श्रेणियां, भारत के भू-विज्ञान के आधार पर उप-खंड। पैंदावार तथा एथलाकृति विज्ञान, ज्वालामुखी पहाड़ तथा भूकम्प, तथा पहाड़ों का तल-विरूपण।

(2) संरचना भूविज्ञान—आग्नेय सामान्य संरचनाएं, नमन, नतिलम्बी तथा ढलान, बलान और असमताएं तथा दृश्यांश पर उसके प्रभाव। भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने के ढंगों का प्रारंभिक ज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान—क्रिस्टल साम्य, क्रिस्टल विज्ञान के नियम तथा क्रिस्टलों की विशेषताएं तथा यमल संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। महत्वपूर्ण शैल निर्माण का अध्ययन,

जिसमें मृदा के खनिज तत्वों के रासायनिक गुण, उसके भौतिकी गुण, प्रकाशीय गुण, उसमें परिवर्तन तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग।

(4) आर्थिक भू-विज्ञान—

भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक खनिजों तथा उनके निक्षेपों, कच्ची धातुओं के उद्गम तथा उनके वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन।

(5) पेट्रोलाजी—

आग्नेय, दानेदार और परतदार शैलों को उनके उद्गम और वर्गीकरण संबंधी प्रारम्भिक ज्ञान, सामान्य शैल श्रेणियों का ज्ञान।

(6) स्तरित शैल विज्ञान—स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत, भू-विज्ञान संबंधी रिकार्ड का, अष्प विज्ञान संबंधी तथा काल संबंधी उप-खंड। भारतीय स्तरित शैल विज्ञान की मुख्य मुख्य बातें।

(7) जीवाश्म विज्ञान—

विकास के संबंधी में जीवाश्म विज्ञान संबंधी तत्वों का प्रभाव, जीवाश्म (फासिल), उनके प्रकार तथा संरक्षण के ढंग। आकृति विज्ञान तथा पशु और पौधे जीवाश्म के प्रधान रूपों में उसके वितरण का प्रारंभिक विज्ञान।

(8) कृषि इंजीनियरिंग

(1) भू तथा जल संरक्षण—

भू-संरक्षण की व्याख्या तथा उसका क्षेत्र। भूसंरक्षण के प्रकार तथा मिकेनिज्म (बल विज्ञान) उनके कारण, जल विज्ञान संबंधी चक्र, वर्षा तथा जलवाह, उन पर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा उनके आकार, स्ट्रीम गौजिंग, वर्षा से जलवाह का मूल्यांकन, भू-रक्षण पर नियंत्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरिंग।

मूल भूत खुले हुए जलभागों का बनाना। भू-संरक्षण संबंधी ढांचों, टेरेस, बांध, नालियां तथा घास उगाते हुए पानी के निकास के भागों का डिजाइन बनाना, बाढ़ नियंत्रण के सिद्धान्त। बाढ़ के पानी के निकास के लिए बार्ग बनाना, फार्म के लिए तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार, करना, द नदी के किनारों पर भू-संरक्षण तथा उसका नियंत्रण, वायुजनिक भूसंरक्षण तथा उस पर नियंत्रण जल संभर की देखभाल के सिद्धांत।

नदी घाटी प्रायोजनाओं से संबंधित जांच तथा योजनायें तैयार करना :

(2) सिंचाई तथा ड्रेनेज—भूमि—जल—पौधों के पारस्परिक सम्बन्ध। सिंचाई के स्रोत तथा प्रकार। लघु सिंचाई प्रायोजनाओं की योजना तथा डिजाइन तैयार करने—जल के उपयोग तथा जलमान। फसलों के लिए जल संबंधी आवश्यकताओं, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकताओं का परिमापन तथा उसका व्यय। औरिफिसिस, नालों तथा नालियों में जल प्रवाह मापने के ढंग, सिंचाई के ढंगों की रूप रेखाएं बनाना। नहरों, खेतों की नालियों, पाइप-लाइनों, हैड गेट, डाइवर्सन बाक्स, स्ट्रक्चर तथा रोड क्रासिंग्स के डिजाइन बनाना तथा उनके निर्माण करना। भूजल प्राप्ति। कुओं की द्रव्य इंजीनियरिंग। कुओं के प्रकार, उनके निर्माण तथा उनकी खुदाई के ढंग, कुओं का विकास। कुओं को टैस्ट करना।

ड्रेनेज—परिभाषा, जलाक्रान्ति के कारण। ड्रेनेज के ढंग सिंचाई की जाने वाली भूमि में नालियां बनाना। तल तथा भूमि से नीचे नालियां बनाने के डिजाइन, नालियां तैयार करना।

(3) निर्माण सामग्री—निर्माण सामग्री के प्रकार—उनके गुण। टाइमर, ब्रिकवर्क तथा आर० सी० कंस्ट्रक्शन, शहतीरों, छतों के जोड़ तथा स्तंभों के डिजाइन तैयार करना। फार्म स्टेग की योजना बनाना। फार्म हाउस/मवेशी खाने तथा भंडार के लिए ढांचों का डिजाइन बनाना। ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई।

(4) फार्म विद्युत तथा मशीनरी।

भिन्न भिन्न प्रकार के आंतरिक कंबस्शन इंजिन लगाना, आंतरिक कंबस्शन इंजिनों का वातानुकूलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके लिए जलने की सामग्री उपलब्ध करना। ट्रेक्टरों, चेसी, ट्रांसमिशन और स्टेयरिंग के भिन्न भिन्न प्रकार। प्राथमिक तथा माध्यमिक जुताई के लिए कृषि की मशीनरी बीजने की मशीनरी, गुड़ाई के औजार आदि। पौधों के संरक्षण का सामान। फसलों की कटाई, अनाज गहाने के औजार। भूमि के विकास के लिए मशीनरी, पंप और पंपिंग मशीनरी।

(5) बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना —

बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण। ग्रामों में बिजली लगाने के लिए बिजली का वितरण। ए० सी० तथा डी० सी० सर्किट।

फार्मों में बिजली के उपयोग। कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली के मोटर, उनके प्रकार संबंधी चयन, उन्हें लगाना तथा उनकी देखरेख।

(9) रसायन इंजीनियरिंग।

1. परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के आधीन)।

(क) मोमन्टम ट्रान्सफर : (I) फ्लों के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदंड।

(ii) वेलोसिटी प्रोफाइली।

(iii) फिल्ट्रेशन, सेडीमेंटेशन, सेंटीफ्यूज।

(iv) तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों का बहाव।

(ख) उष्म स्थानांतरण, उष्म स्थानांतरण के विभिन्न ढंग। स्पेट, बेलनाकार, वर्गाकार, एकमात्र तथा मिश्रित, शीशों की सतहों के लिए गति मापना।

कन्वेक्शन—फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाइमेंशन रहित ग्रुप। अलग अलग तथा पूर्ण रूप से स्थानांतरण का रूप निर्धारित करना। वाष्पीकरण-विकीकण—स्टेफन वोल्ड्स का नियम— एमिसिविटी तथा एबजोविविटी। ज्योमेट्रीकल शेष फेक्टर, भट्टियों में उष्मा के दबाब का हिसाब लगाना।

(ग) संहति स्थानांतरण, गैसों तथा तरल पदार्थों का विसरण। एब्जोर्पेशन, ह्यूमिलिफिकेशन, डीह्यूमिलिफिकेशन, ड्राइंग तथा डैज्यूलेशन। मोमेंटम हीट तथा भाप ट्रांसफर के भेद—

2. थर्मोडीयनेमिक्स

(क) थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम।

(ख) इन्टरनल एनर्जी, एन्ट्रेफी, एन्याइफी और फ्री एनर्जी का निर्धारण। सजातीय तथा विजातीय सिद्धान्तों के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्धारित करना। कंबस्शन, डिस्टिलेशन तथा उष्मा स्थानांतरण में थर्मोडानेमिक्स का उपयोग। तरल

पदार्थों, ठोस और तरल पदार्थ तथा ठोस पदार्थ के मिश्रण के सिद्धान्त तथा मेकेनिज्म ।

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग

(i) फेनेटिक्स, सजातीय और विजातीय प्रतिक्रियाएं प्रथम और द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं । बैच तथा फ्लोरिएक्टर तथा उनके डिजाइन ।

(ii) केटेलेसिस—केटेलेसिस का चुनाव,

तैयारी

मैकेनिज्म पर आधारित केटेलिसिस की मिकेनिक्स (समरचना) ।

4. ट्रांसपोर्टेशन-सामग्री, विशेषतः पाउडरों, रोजिन, उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले तरल पदार्थों, एमल्शन और डिसपर्शन, पंपों, कम्प्रैसरों तथा ब्लोवर एकत्रित करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना । मिक्सचर—तरल, —तरल, ठोस-तरल, ठोस-ठोस के लिए विभिन्न मिक्सचर मिलाने का सिद्धान्त तथा प्रक्रिया ।

5. सामग्री—वे मामले जिनसे रसायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव किया जाता है । धातु, एलाय, सेरेमिक, प्लास्टिक तथा रबर । इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजें, प्लाई वुड, लेमिनेट । वाट और बेरलों के निर्माण के लिए उपस्कर तैयार करना ।

6. इन्सट्रूमेंटशन तथा प्रक्रिया नियन्त्रण—हाईड्रोलिक, न्यूमेटिक, थरमल, आप्टिकल मेगनेटिक, इलेक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक औजार । नियन्त्रण तथा नियन्त्रण के ढंग । आटोमेशन ।

10. गणित—

(1) बीजगणित, त्रिकोणमिति, तथा निर्धारक सहित समीकरण का सिद्धान्त. विशुद्ध प्लेन ज्योमिति तथा दो आयामों की विश्लेषणात्मक ज्योमिति डिफ्रेंशल तथा इन्टीगरल केलकुलस तथा डिफ्रेंशिया समीकरण ।

(2) स्टेटिक्स । डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टेटिक्स

अथवा

सांख्यिकी

11. मिकेनिकल इंजीनियरिंग

(1) पदार्थों की शक्ति ।

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन—हुक का नियम ।

1. पदार्थों की मजबूती—

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेस—हुक का नियम तथा इलास्टिक कांस्टेंटस के बीच के सम्बन्ध—टेंशन व कम्प्रेशन में कम्पाउंड बार्स तथा तापमान में परिवर्तन के कारण हुए स्ट्रेसेज ।

साधारण लदान के लिए मामूली सहारे के साथ लटके हुए और कैंटीलीवर बीम्स में बेंडिंग मूमेंट शीयर फोर्स तथा डिफलेक्शन ।

राउंड बार्स में टौर्शन—शैफ्ट्स द्वारा बिजली का ट्रांसमिशन —स्प्रिंग्स ।

कम्बाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस तथा कम्बाइंड बेंडिंग व टौर्शन के सामान्य मामले ।

फ़ेल्योर की इलास्टिक थयोरी—स्ट्रेस कंसेंट्रेशन तथा फ़ेटीग ।

2. मशीनों और मशीन डिजाइन का सिद्धान्त ।

मशीनों के पुर्जों की सपेक्ष वेलोसिटी ग्राम तथा हिसाब लगाकर दिखाना ।

इंजिनों के क्रैंक ऐफर्ट डायाग्राम—फ्लाई—व्हील्स की गति के अन्तर गवर्नर्स । वेल्ट-ड्राइव द्वारा ट्रांसमिट की गई बिजली । जर्नल्स तथा थ्रस्ट वीयरिंग, बाल तथा रोलर वीयरिंग्स की फ्रिक्शन तथा ल्यूब्रीकेशन । फास्टिंग और लौकिंग डिवाइस के डिजाइन बनाना । रिवेट लगाए हुए, पेच के साथ अथवा वैल्ड करके कसे हुए जोड़ों और फास्टिंग के लिए मात्राएं ।

3. प्रयुक्त थर्मोडाइनेमिक्स—

फ्यूअल—कंबस्शन (दहन) एयर सप्लाई—फ्यूअल तथा एक्जौस्ट गैसों का विश्लेषण ।

बोईलर्स, सुपरहीटर्स तथा इकोनोमाइज़र्स—बोईलर्स माउंटिंग्स तथा एक्सेसेरीज—डोइलर ड्रायल ।

वाष्प के भौतिक तत्व—वाष्प सम्बन्धी सारणियां तथा उनके उपयोग ।

थर्मोडायनेमिक्स के नियम—गैस सम्बन्धी नियम—गैसों का विस्तार तथा संपडिन—एयर कम्प्रेसर्स ।

आदर्श तथा वास्तविक इंजन क्रम—तापमान का उपयोग—ऐंट्रोफी तथा प्रेसर-वोल्यूम के चार्ट तथा डायाग्राम ।

साधारण वाष्प इंजिन तथा आन्तरिक वहन वाले इंजिन ।

इंडीकेटर तथा इंडीकेटरों के डायाग्राम—मिकेनिकल ।

थर्मल एयर स्टेंडर्ड और वास्तविक दक्षताएं—सामान्य निर्माण —इंजन की ट्रायल तथा हीट बैलेंस ।

4. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग

आम मशीन टूल्स—लेथों, शेयर, प्लेनर, ड्रिलिंग मशीनों के सिद्धान्त तथा डिजाइन फीचर—मिलिंग मशीनें—ग्राइंडिंग मशीनें—जिग तथा फिक्स्चर । धातुओं को काटने के औजार —टूल मेटीरियल—टूल ज्यामिति ।

कटिंग फोर्सिज़—ऐब्रेसिव व्हील्स ।

वेल्डिंग वेल्डेबिलिटी तथा विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाएं—वेल्डों का टेस्ट करना ।

फोर्मिंग प्रोसस—धातुओं का मोल्डिंग, फोर्जिंग, रोलिंग तथा ड्राइंग ।

मेट्रोलोजी—लाइनियर तथा एंगुलर परिमाप—सर्फेस फिनिश —आप्टीकल इंस्ट्रूमेंट्स ।

उद्योग इंजीनियरिंग—मेथड स्टडी एण्ड वर्क मेनेजमेंट—मोशन —टाइम सम्बन्धी विवरण—वर्क सेम्पलिंग—जाब का मूल्यांकन-वेतन तथा प्रोत्साहन—आयोजन नियन्त्रण तथा प्लांट की रूपरेखा तैयार करना ।

5. फ्लूड मिकेनिक्स (तरल यांत्रिक) तथा जल शक्ति।

करनौली का समीकरण—मूविंग प्लेट तथा वेन—पम्प तथा टरबाईन। डिजाइन ऐप्लीकेशन्स और विशिष्ट वक्र, समानता के सिद्धान्त, गवर्निंग—हाइड्रौलिक एकुमुलेटर तथा इंटेंसी फायर—क्रेन तथा लिफ्ट—सर्ज टेंक स्टोरेज रिजर्वायिर।

12. भौतिकी

पदार्थ और यांत्रिकी के सामान्य गुण—

एक तथा आयाम, स्केलर एण्ड वेक्टर क्वांटीटीज, जड़त्व की गति, कार्य, ऊर्जा, संवेग,। यांत्रिकी के आधारभूत नियम, परिभ्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण, साधारण हार्मोनिक गति, सरल तथा मिश्रित लोलक, केटर्स लोलक, प्रत्यास्थता, तल-तनाव, तरल पदार्थों की विस्कोसिटी, रोट्रीपम्प मेक्लोडगाज।

2. ध्वनि

अवमन्दित, प्रणोदित तथा मुक्त कम्पन, तरंग गति, डोप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंगों का वेग, गैस में ध्वनि के वेग पर दबाव, तापमान तथा आर्द्रता का प्रभाव, डोरियों, बार, प्लोटों तथा गैस स्तम्भ का कम्पन, विस्पंद, स्थिर तरंगें, वारंगरता—पापन, ध्वनि का वेग तथा उसकी तीव्रता स्वर-ग्राम, वास्तकला में ध्वनिकी, अल्ट्रामोनिक्स के तत्व। ग्रामोफोन, टाकीज तथा लाउडस्पीकरों के सिद्धान्त।

3. ऊष्मा तथा ऊष्मा-प्रवेगिकी

तापमान तथा उसका परिमाप, ऊष्मा विस्तार, गैसों में संतापी तथा एडियबेटक परिवर्तन, वशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मता-चालकता, किनेटिक के पदार्थ सम्बन्धी सिद्धान्त के तत्व, बोल्ट्स-मैन के वितरण-नियम के बारे में भौतिक विचार, वान-डर-वाल कास्टेटस समीकरण, जूल-थांप्सन का प्रभाव। गैसों का तरल रूप देना, ऊष्मा-इंजन, कानोर्ट का प्रमेय, ऊष्मा-प्रवेगिकी के सिद्धान्त तथा उनका सरल प्रयोग, ब्लैक बाडी रेडिएशन।

4. प्रकाश

रेखिकीय काशिकी। प्रकाश का वेग। सम तथा गोनीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चाक्षुप प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार, नेत्र तथा चाक्षुप साधन, प्रकाश का तरंग सिद्धान्त, व्यक्तिकरण, सरल व्यक्तिकरण मापी, विवर्तन, ग्रेटिंग प्रकाश का ध्रवण, स्पेक्ट्रस विज्ञान के तत्व।

5. विद्युत तथा चुम्बकत्व

साधारण मामलों में क्षेत्र तथा शवम की गणना। गौसका प्रमेय तथा उसके सरल प्रयोग, इलैक्ट्रोमीटर। किसी क्षेत्र के लिए अपेक्षित ऊर्जा, पदार्थ के विद्युत तथा चुम्बकत्व सम्बन्धी गुण, शैथिल्स, चुम्बशीलता तथा धारिता। विद्युत धारा के कारण सनित चुम्बकत्म, गतिमान चुम्बक तथा कौशल गल्वेनोमीटर, धारा तथा संघर्षण का परिमाप, प्रतिक्रियात्मक सकिट तत्वों के गुण तथा उनका निर्धारण, ऊष्मा-विद्युत प्रभाव, इलैक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्शन, ए० सी० करेंट, ट्रांसफोर्मर और मोटरों का उत्पादन, इलैक्ट्रोनिक वाल्व तथा उनके साधारण प्रयोग।

बोहर के ऐटम सिद्धान्त के तत्व, इलेक्ट्रोन, केथेड किरणें तथा एक्सरेज। इलेक्ट्रोनिक चार्ज तथा मास का परिमापन।

13. प्राणी-विज्ञान

पशु जगत का मुख्य-मुख्य दलों में वर्गीकरण, विभिन्न श्रेणियों के विशिष्ट लक्षण।

निम्नलिखित नान-कार्डेट के ढांचे, आदतें तथा जीवन विवरण:—

अमीबा, मलेरियल-परजीवी, स्पंज, हाइड्रा, लिवफ्युक, टेपवार्म, राउंडवार्म, अर्थवार्म, लीच, काकरोच, घर में मक्खी-मच्छर, बिच्छू, फ्रेशवाटर मसल, पौन्ड स्नेल तथा स्टारफिश (केवल बाहरी विशिष्टताएं)

कीटों का आर्थिक महत्व, निम्नलिखित कीटों का जीवन-विवरण तथा बायोनोमिक्स: टमाईट, टिड्डी, शहद की मक्खी तथा रेशम के कीड़े।

कोरडेटा का वर्गीकरण।

निम्नलिखित कोर्डेट श्रेणियों का ढांचा तथा उनकी तुलनात्मक शरीर रचना:

ब्रांवयोस्टोमा, स्कोलीडोन, मेंढक, यूरोमेस्टिक्स या अन्य कोई छिपकली (वेरानस का पंजर), कबूतर (पक्षियों का पंजर), तथा खरगोश, चूहा, गिलहरी। मेंढक और खरगोश के संदर्भ में पशुशरीर के विभिन्न भागों की हिस्टोलोजी तथा फिज्योलोजी, ऐंडोकरीन गैलैण्ड तथा उनके कार्य का प्रारम्भिक ज्ञान।

मेंढक तथा कुक्कुट के शारीरिक ढांचे के विकास तथा मम्मेलियन प्लेसेंटा के कार्य सम्बन्धी ज्ञान।

विकास, नसलों के भेद, सम्मिलन, रीकेपीचुलेशन के सामान्य सिद्धान्त मेडेलियन।

विकास और नसलों की भिन्नता के सामान्य सिद्धान्त, अनुकूल, प्रत्यास्मरण—परिकल्पना, मेंडेल, की वंशानुगति, पुनर-जनन के योन-भिन्न तथा-योन प्रकार, अनिषेक जनन, कायान्तरण।

भारतीय पशुजगत के विशिष्ट संदर्भ में, पशुओं का कवक विज्ञान और भू-विज्ञान सम्बन्धी वर्गीकरण।

भारत के अन्य प्राणी, जिसमें जहरीले और बिना जहर वाले और ओविठ पक्षी शामिल हैं।

भाग—ख

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के केरियर का वृत्त होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिए उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिए वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन

करने की शक्ति सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचार-धाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि लें जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

परिशिष्ट III

(नियम 22 के अनुसार)

भारतीय वन सेवा सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा (नियम 22 के अनुसार)—

(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खंड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतन-मान—**

जूनियर वेतन-मान : रु० 400-400-450-30-60-35-670-व० रो-35-950।

सीनियर वेतन-मान: रु० 700 (छटे वर्ष या उससे पहले) -40-1100-50/2-1250।

वनपाल : रु० 1300-60-1600-100-1800

मुख्यवनपाल रु० 2000-125-2250।

वन-महानिरीक्षक : रु० 3000-00 (नियत)।

महंगाई भत्ता:—समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा। परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) भविष्य निधि—भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) छुट्टी—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) डाक्टरी परिचर्या—भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली 1954 के अन्तर्गत अनुभत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-वनसेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

परिशिष्ट IV

[उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(नियम 18 के अनुसार)

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अभीष्ट शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षाओं (Medical Examination) के लिए भी सामान्य निर्देश है तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता उसे स्वास्थ्य-परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह, लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार से यह सिफारिश कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सरकारी सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

2. किन्तु यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य-परीक्षा बार्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. चलने की जांच—उम्मीदवारों को 4 घन्टे में पूरा होने वाली 25 किलोमीटर चलने की जांच में सफलता प्राप्त करनी होगी। वन-महानिरीक्षक, भारत सरकार द्वारा यह जांच करने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि वह स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड की बैठकों के साथ साथ ही हों।

3(क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु- कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
से० मी०	से० मी०	से० मी०
163	84	5 (पुरुषों के लिए)
150	79	5 (महिलाओं के लिए)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया नागालैंड की आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टेंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाय एड़ियों के पावों की। उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

5. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तह लगाया जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव संटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय आधे सैंटीमीटर के कम से भिन्न फ्रक्शन को नोट करना चाहिए।

नोट : अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापने चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम से के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या विलक्षणता (एबनार्मलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को ऐसा भेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटिगुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विजुएल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो जांचें की जाएंगी, एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा।—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई नजर)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई नजर)	खराब आंख
6/6	6/12 या 6/9	जे० 1	जे० 11
6/9			

नोट :

(1) फंडूस परीक्षा—जब कभी सम्भव होगी मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे।

(2) कलर विजन—(i) रंगों के सम्बन्ध में नजर की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी हुई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लेंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) आकार	1.3 मि० मीटर	1.3 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकन्ड

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लेंटर्न जैसी उपयुक्त लेंटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिलकुल विश्वासनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लेंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

(3) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड़) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परमापी (पैरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(4) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूर नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टेंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों को पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर सचित विचार किया जाना चाहिए।

(5) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आब्यूलर कंडिशन्स)।

(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतोर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्किवट) द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टेन्डर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

8. रक्त-दाब (ब्लैड प्रेशर) —

ब्लड प्रेशर के सबध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिये —सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्थालिक प्रेशर को ओर 90 से ऊपर के डास्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सबध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेन्ट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) ऐसे सभी केसों में हृदय को एक्स-रे और विद्युत हल्लेखी (इलैक्ट्रोकार्डिया ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लायरेन्स) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त-दाब) लेने का तरीका

नियमत: पारेवाले दाब मापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इस्ट्रमेन्ट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कपड़े तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के

अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समानरुप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचो-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में गलभग 200 हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाए, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षेमकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाता है । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है ।)

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाविटीज़) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लूकोसूलिरआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैन्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाए हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी किलिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाए जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वय उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई औरत उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसूति न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्साकर्ता से अरोग्य का स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एडस के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकौससील, वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं ?

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा न या नहीं और उस की संधियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं । कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

12. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की ऐक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता को निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई शक नहीं है । किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाणपत्र के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इस में संबंधित मेडिकल प्रेक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है की उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टेंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जायगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्टर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगी को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य किरार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अवीकार किये जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है ।

ऐसे मामलों में न ही मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषधयाशल्या) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एकदूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

उम्मीदवार का कथन और घोषणा

मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें ————————
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और अन्य स्थान————————
बताएं ————————

2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदि जाति आदि में से किसी जाति से सबन्धित हैं, जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है ?

"हां" या नहीं में उत्तर दीजिए, और यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, गंथियां (गलेंइस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, ऐपैंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैया पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

6 अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य का अवस्था	यदि पिताजी की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की का अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1	2	3	4

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण
(1)	(2)

आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
3	4

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ——————

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" हो तो बताइये किस सेवा /सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? ——————

9. परीक्षा लेने वाली प्राधिकारी कौन था ? ——————

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? ——————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो। ——————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक है ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर——————

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ।

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर——————

नोट :— उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से यह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाएंस) या उपधान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) —————— की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ।

1. सामान्य विकास: अच्छा ——————बीच का ——————कम ——————पोषण: पतला —————— औसत ——————मोटा

कद (जूते उतार कर) —————— वजन ——————

अत्युत्म वजन——————कब था ?

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ——————

तापमान ——————

छाती का घेर ——————

(1) पूरा सांस खीचने पर————

(2) पूरा सांस निकालने पर————

2. त्वचा—कोई ज़ाहिरा बीमारी ————

3. नेत्र ————

(1) कोई बीमारी————

(2) रतौंधी ————

(3) कलर विज़न का दोष ————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विज़न) ————

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)————

(6) फंडस की जांच ————

दृष्टि की पकड़		चश्में के बिना	चश्में से	चश्मे की पावर गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान: निरीक्षण ————सुनना: दांया कान ————बाया कान ————

5. ग्रंथियां————थाइराइड ————

6. दांतो की हालत ————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें?

8. परिसंचरण तंत्र (सक्युलेरटी) सिस्थम)

(क) हृदय: कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन)? ———— गति (रेट):

खड़े होने पर:

25. बार कुदाए जाने के बाद ————
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ————

• (ख) ब्लड प्रेशर ————सिस्टालिक———
————डायस्टालिक ————

9. उदर (पेट):

पैर ————दाब
वेदना (टेंडरनेस) हर्निया ————

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर ————
तिल्ली ————
गुर्दे ————ट्यूमर ————

(ख) बबासीर के मस्से ————फिस्चुला ————

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्र का या मानसिक अशक्तता का संकेत ————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) ————
कोई विलक्षणता ————

12. जनन-मूत्र तंत्र (जोनिटो यूरिनरी सिस्टम)। हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत।
मूत्र परीक्षा:-

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ————

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एल्ब्युमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिसे वह भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर ड्यूटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है?

नोट :— बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(1) योग्य (फिट)

(2) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण ————

(3) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण ————

स्थान ————
अध्यक्ष (चेयरमेंन)————
तारीख ———— सदस्य ————
सदस्य ————

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1971

सं० ए० 11019(5)–71-प्रशा० 3 (वि० वि०)— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० फ० 3(50)/68-प्रशा० 3 (वि० का०) दिनांक 22 मई 1968 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार आयकर

अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों में से हर एक को, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत करती अर्थात् :—

1. श्री बी० एस० करबेकर, लेखा-सदस्य।
2. श्री हरनाम शंकर, लेखा-सदस्य।
3. श्री एच० एम० झाला, लेखा-सदस्य।
4. श्री वी० सेतूरमण, न्यायिक सदस्य।
5. श्री पी० आर० शंकरसेट्ट, न्यायिक सदस्य।
6. श्री आर० सी० देसाई, न्यायिक सदस्य।
7. श्री जे० सेन, लेखा-सदस्य।
8. श्री एस० रंगानाथन, न्यायिक सदस्य।
9. श्री पी० डी० माथुर, लेखा-सदस्य।
10. श्री वी० रामास्वामी अय्यर, न्यायिक सदस्य।
11. श्री डी० रंगास्वामी, लेखा-सदस्य।
12. श्री टी० डी० सुगला, न्यायिक सदस्य।
13. श्री जी० घोष, लेखा-सदस्य।
14. श्री वी० पी० तिवारी, न्यायिक सदस्य।
15. श्री जी० आर० देसाई, लेखा सदस्य।
16. श्री ए० सी० मैत्री, न्यायिक सदस्य।

(विधि कार्य विभाग)

दिनांक 2 दिसम्बर 1971

सं० ए० 11019(5)/71-प्रशा०-III (वि० का)—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं० ए० 11019(5)/71-प्रशा०-III (वि० का०) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा, आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है अर्थात् :—

1. श्री बी० वासुदेवन, लेखा-सदस्य।
2. श्री बी० पालेकर
3. श्री ए० एम० राव।

पी० वी० वेंकटसुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 30 नवम्बर 1971

शुद्धि पत्र

सं० 18/70-ए च० सी०—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/8/70-एच० सी० दिनांक 7 जनवरी 1971 में, जैसा कि इस में बाद में संशोधन किया गया था, दिये गये पतों के स्थान पर निम्नलिखित पते रखे जायें :—

क्रमांक	के लिए	पढ़ें
29.	श्री मुहम्मद युसुफ, सी०-1/16, पंडारा रोड, नई दिल्ली।	श्री मुहम्मद युसुफ, 24, गुरुद्वारा रकाबगंज, नई दिल्ली।

टी० एस० परमेश्वरन, अवर सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1971

सं० 58/2/71-टी० डी०—शासन के नियम 32 तथा आविष्कार संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के ज्ञापन और नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा श्री आबिद हुसेन, संयुक्त-सचिव औद्योगिक विकास मंत्रालय, को श्री एन० जे० कामथ, संयुक्त-सचिव, के स्थान पर, जिन्होंने इस मंत्रालय को अधिसूचना सं० 10(4)/67-ए० एस० आई० (बी०) दिनांक 19 दिसम्बर 1968 के अधीन गठित की गई अविष्कार संवर्धन बोर्ड की शासी परिषद् को छोड़ दिया है, उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

ए० पी० सरवन, उप-सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 1971

संकल्प

सं० 2(2)/67 ई० आई० (एम०)/ई० ई० आई०—भारत सरकार ने इस उद्योग के विकास से संबन्धित विभिन्न मामलों की जांच करने के उद्देश्य से संकल्प सं० 2(2)/67-ई० आई० (एम०) दिनांक 21 अप्रैल, 1969 के द्वारा इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग की नामिका का गठन किया था। नामिका का कार्यकाल 20 अप्रेल 1971 को समाप्त हो गया है अतः सरकार ने इसे संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्षों के नये कार्यकाल के लिए इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है

2. नामिका के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(क) पांचवीं योजना के लिये किस्मवार, प्रकारवार तथा विशिष्टीकरण-वार मांग का निर्माण करना।

(ख) जिन एककों में पहले से उत्पादन हो रहा है उनकी क्षमता की समीक्षा करना तथा यदि कोई अंतर है तो उसे पूरा करना।

(ग) विद्यमान एककों का उत्पादन में वृद्धि करके अथवा नये प्रकार का उत्पादन आरम्भ कर के विविधीकरण करना।

(घ) कच्चा माल, पुर्जों का रख-रखाव आदि के बारे में यदि कोई समस्यायें हों।

(ङ) इस उद्योग के उत्पादन के लिये मशीनों तथा उपकरणों का विकास करना जिनका, कि अब तक विकास नहीं किया गया है विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहने को कम करना, आदि और

(च) समय-समय पर आने वाले अन्य मामले।

3. इस सलाहकार नामिका की बैठक अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर, छः महीने में एक बार या

आवश्यकतानुसार उससे अधिक, स्थिति की समीक्षा करने के लिये होगी। यह अपने द्वारा देखे गये प्रकरणों का प्रतिवेदन समय-समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

4. नामिका में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1 श्री एन० जे० कामत, अध्यक्ष
संयुक्त सचिव, औद्योगिक,
विकास मंत्रालय.
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

2 श्री वी० पी० सोनी, सदस्य
निदेशक (विकास),
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन
नई दिल्ली।

3 श्री डी० के० चक्रवर्ती, सदस्य
महाप्रबन्धक, (एस० जी०)
धातु तथा इस्पात कारखाना,
ईशापुर (पश्चिम बंगाल)।

4 श्री पी० आर० सेठी, सदस्य
चीफ (इंजीनियरी),
(उद्योग तथा खनिज प्रभाग),
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली।

5 श्री जी० बन्धोपाध्याय, सदस्य
योजना अधिकारी,
संयुक्त प्लांट समिति,
18, रबीन्द्र सारानी,
संयुक्त प्लांट समिति,
कलकत्ता।

6 श्री डी० आर० मलिक, सदस्य
महा प्रबन्धक,
हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट,
हरद्वार (उ० प्र०)।

7 श्री एस० के० स्वरूप, सदस्य
उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश स्टील लि०,
सुखबीर सिंह पार्क,
सिविल लाइन,
मुजफ्फर नगर (उ० प्र०)

8 श्री धीरू एन० मेहता, सदस्य
बिक्री प्रबंधक,
मे० मुकंन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०,
कुरला, बम्बई–70।

9 श्री वी० रामकृष्णन, सदस्य
समन्वय अधिकारी,
मे० श्री रामकृष्ण स्टील इण्डस्ट्रीज लि०,
करमादाई डाकखाना,
कोयम्बटूर जिला।

10 श्री बी० भंडारी, सदस्य
चीफ इक्जीक्यूटिव,
मे० कुमार धूबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग,
कलकत्ता 1।

11 श्री सी० एल० सेन गुप्त,
आवासी प्रबंधक, सदस्य
मे० एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० (प्रा०) लि०
परामर्शदाता इंजीनियर,
2–राजदूत मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-11।

12 श्री एस० के० अग्रवाल, सदस्य
टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि०,
डाकखाना–बेलगारिया, 24 परगना,
(पश्चिम बंगाल)।

13 श्री आर० वीरवासप्पा, सदस्य
डिवीजनल प्रबंधक,
फाउंड्रीज,
दि मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि०,
भद्रावली (दक्षिण रेलवे)।

14 श्री डी० श्रीनिवासन, सदस्य
कार्यकारी सचिव,
स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया,
1–ए०, मोनालासा, 17, कामेक स्ट्रीट,
कलकत्ता 1।

15 श्री एफ० ए० ए० जसदनवाला, सदस्य
अध्यक्ष,
दि कंस्ट्रीट्यूट आफ इण्डिया फउंड्रीमैन,
द्वारा दि इण्डियन स्टैन्डर्ड मेटी मेटल कं० लि०,
चिचपोकिल चौराहा लेन,
बम्बई-27।

16 श्री आर० एम० वालानी
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
औद्योगिक विकास मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएं तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० सेठी, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 1971

संकल्प

सं० 3-5/69-वन विकास—कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति में संवैधानिक परिवर्तन होने तथा मेघालय, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ के नये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्मित हो जाने के कारण, भारत सरकार ने भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के पत्र सं० 3-47/58-वन विकास, दिनांक 12 नवम्बर 1958 तथा संकल्प सं० 3-4/66-वन विकास दिनांक 5 जुलाई 1966 के पिछले आदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है, केन्द्रीय वन मण्डल की स्थायी समिति को निम्न-प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है :—

1.	वन के प्रभारी केन्द्रीय राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	कृषि के केन्द्रीय उप मंत्री	उपाध्यक्ष
3–6	निम्न प्रकार से गठित किये गये चार क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक वन राज्य मंत्री (जो बारी बारी से समिति में काम करेंगे)	सदस्य
	(i) पूर्वी क्षेत्र : असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, (नेफा तथा अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को स्थायी समिति की बैठकों से पूर्व की बैठकों के लिये इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा)।		
	(ii) उत्तरी क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर (दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को स्थायी समिति की बैठकों से पूर्व की बैठकों के लिये इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा)।		
	(iii) पश्चिमी क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गोवा, दमन एवं दीव।		
	(iv) दक्षिणी क्षेत्र : तमिल नाडु, मैसूर, केरल, तथा आंध्र प्रदेश।		
7	सचिव, भारत सरकार, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग,	सदस्य	
8	वन महानिरीक्षक	सदस्य	
9	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून।	सदस्य	
10	सचिव, केन्द्रीय वन मंडल।	सदस्य सचिव।	

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सब सम्बन्धितों को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

आर० सी० सोनी,
वन महानिरीक्षक तथा पदेन अवर सचिव

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 1971

(अकाल)

सं० 15-4/71-एस० आर०—भारतीय जन अकाल न्यास प्रशासन के नियमों के नियम 7 के अधीन बनाई गई उप-विधि 7 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय जन अकाल न्यास के पहली जुलाई 1970 से 30 जून 1971 तक की अवधि की प्राप्ति, संवितरण और परिसम्मति के परीक्षित लेखों को प्रकाशित करती है जोकि इस प्रकार है :—

अनुसूची 1

भारतीय जन अकाल न्यास

30 जून 1971 की समाप्ति पर लेखे के ब्योरे को बताने वाला विवरण।

		रुपये
1	कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ निधि, पश्चिमी बंगाल में निहित सरकारी प्रतिभूतियों में धर्मार्थ निधि। 1946 का 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण (प्रत्यक्ष मूल्य)।	32,78,400.00
2	भारत के स्टेट बैंक, नई दिल्ली में अल्प अवधि के लिये लगी राशि।	70,255.00
3	चालू खाते में 30-6-1971 को भारत के स्टेट बैंक, नई दिल्ली में नकद जमा राशि।	70,588.23
	जोड़	34,19,243.23

जांच किया और ठीक पाया
ह०
महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व।

डी० डी० धींगरा
अवेतनिक सचिव।

अनुसूची 2

भारतीय जन अकाल न्यास

1-7-70 से 30-6-71 की अवधि में प्राप्ति और संवितरण का लेखा-सार

		रुपये			रु०	रु०
1	अथशेष	चालू खाते में	54,273.36	1	असम में अनुदान का भुगतान	15,000.00 10,000.00	25,000.00
2	32,78,400.00 रुपये की धर्मार्थ निधि पर ब्याज।	रुपये		2	बैंक प्रभार		0.61
	ब्याज	983,52		3	लेखापालों को दिया गया मानदेय		300.00
	कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ निधि, पश्चिमी बंगाल द्वारा स्रोत से वसूल करने की स्थिति में फीस कम करना।	983,52	97,368.48	4	उ० प्र० के असहायों को दी गई राशि।		240.00
3	बिना खर्च की गई राशि की वापसी		14,068.25	5	इतिशेष		
4	भारत के स्टेट बैंक, नई दिल्ली में अल्प अवधि के लिये जमा राशि पर ब्याज		673.75	1	भारत के स्टेट बैंक, में अल्प-अवधि के लिए जमा राशि पर निवेश।	70,255.00	
				2	बैंक में जमा नकद राशि	70,588.23	1,40,843.23
	जोड़		166,383.84		जोड़		166,383.84

जांच किया और ठीक पाया।
महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व।

डी० डी० ढींगरा,
अवैतनिक सचिव
एम० शमसुद्दीन, अवर सचिव

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय
(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1971

संकल्प

सं० पी० एल० 4(32)/68—इस मंत्रालय के संकल्प सं० पी० एल० 4(32)/68 दिनांक 14 अगस्त 1969 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए, उसके अन्तर्गत पुनर्गठित केन्द्रीय कर निर्धारण का गठन तत्पश्चात् निम्न प्रकार से होगा।

(1) महानिदेशक (सड़क विकास) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)।

(2) अध्यक्ष, इंडियन रोड्स कांग्रेस;

(3) निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान;

(4) तथा (5) राज्य को दो मुख्य इंजीनियर;

(1) मुख्य इंजीनियर (सड़क) राजस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

(2) मुख्य इंजीनियर, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, (सड़क व भवन) हैदराबाद।

(6) तथा (7) राज्य सड़क अनुसंधान प्रयोगशालाओं के दो निदेशक:

(1) निदेशक,
परीक्षण अनुसंधान संस्थान,
बिहार सरकार,
पटना।

(2) निदेशक,
सड़क तथा भवन अनुसंधान संस्थान,
कलकत्ता।

(8) गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य:
श्री ए० डी० ढिंगरा,
प्रबंध निदेशक,
हीटले और ग्रेशम लिमिटेड,
43, फोर्बस स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई।

इस संबंध में शर्तें उपर्युक्त संकल्प में किये गये उल्लेखानुसार ही होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, (परिवहन और पैट्रोलियम प्रभाग), शिक्षा मंत्रालय (विज्ञान विभाग), महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, सड़क अनुसंधान संस्थान, अध्यक्ष इंडियन रोड कांग्रेस, सचिव, इंडियन रोड कांग्रेस, तथा श्री ए० डी० ढिंगरा, प्रबंध निदेशक, हीटले और ग्रेशम लिमिटेड, 43 फोर्नस स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई-1।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

(एस० एन० सिन्हा) महानिदेशक
(सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 1969

संकल्प

सं० पी० एल० 4(32)/68—भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग, (सड़क पक्ष) के संकल्प सं० पी० एल० 4(9)/59 भाग 2, दिनांक 8 अगस्त 1961 के संकल्प के पैरा 5 के अनुसार और भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के संकल्प सं० पी० एल० 4(10)/64 दिनांक 30 अक्तूबर 1965 के पैरा 3 के सिलसिले में उपरोक्त 8 अगस्त 1961 के संकल्प की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय कर निर्धारण समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :—

(1) महानिदेशक, (सड़क विकास) पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)।

(2) अध्यक्ष, इन्डियन रोड कांग्रेस;

(3) महानिदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,

(4) और (5) राज्य के दो चीफ इंजीनियर,

(1) चीफ इंजीनियर, राजस्थान,
सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क, जयपुर।

(2) चीफ इंजीनियर,
आंध्र प्रदेश,
सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क,
हैदराबाद।

(6) और (7) राज्य सड़क अनुसंधान प्रयोगशालाओं के दो निदेशक,

(1) निदेशक,
परीक्षण अनुसंधान संस्थान,
बिहार सरकार,
पटना।

(2) बाद को सूचित किया जायेगा।

(8) गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य :
श्री ए० डी० ढिंगरा,
प्रबंध निदेशक,
हीटले और ग्रेशम लिमिटेड,
43, फोर्बस स्ट्रीट,
फोर्ट, बंबई।

महानिदेशक (सड़क विकास) समिति के संयोजक बने रहेंगे और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक द्वारा नामित प्रोफैसर सी० जी० स्वामीनाथन, वैज्ञानिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2. 8 अगस्त 1961 के पैरा तीन में पूर्वोक्त संकल्प के अतिरिक्त, जब कि एक विशेष राज्य की परियोजनाओं को जांचते हुए और रूढ़िगत तकनीकों के प्रतिस्थापन के लिये यथोचित नये तकनीकों की सिफारिश करते समय, समिति चीफ इंजीनियर और संबंधित राज्य के अनुसंधान संस्थान के प्रधान, या उनके प्रतिनिधियों से सहयोजित करेंगे यदि वे पहिले ही से समिति में न हों। समिति की सीमाधीन विशेषज्ञों तक सहयोजित करने का भी अधिकार होगा जिन्हें विचाराधीन विषय के बारे में विशेष ज्ञान होगा।

3. समिति के विचारार्थ विषय की वही शर्तें होगी जो उपरोक्त दिनांक 8 अगस्त 1961 के संकल्प के 4 पैरा में सूचित की गई है। आगे जैसे कि संकल्प के 5 पैरा में कहा गया है कि महानिदेशक (सड़क विकास) अध्यक्ष इंडियन रोड्स कांग्रेस और निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान के अलावा समिति के सदस्य तीन वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों प्रशासनों, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय (परिवहन और पैट्रोलियम प्रभाग), शिक्षा मंत्रालय (विज्ञान विभाग) महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसधान संस्थान, अध्यक्ष इंडियन रोड कांग्रेस, श्री ए० डी० ढिंगरा, प्रबन्ध निदेशक, हीटले और ग्रेशम लिमिटेड, 43, फोर्बस स्ट्रीट, फोर्ट बबई—1, और सचिव, इंडियन रोड, कांग्रेस।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एस० एन० सिन्हा,
महानिदेशक (सड़क विकास)
और अतिरिक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० बी० 11015/5/71-एफ०(ए०)—भारतीय फिल्म तथा टेलीवीजन संस्थान, पूना के कार्य संचालन की जांच कराने के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने गैर-सरकारी तथा सरकारी सदस्यों की एक जांच समिति गठित करने का

निर्णय किया है जो इस मामले की जांच कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। समिति का गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष

श्री जी० डी० खोसला,
आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त),
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश,
पंजाब।

सदस्य

1 श्री ऋषिकेश मुकर्जी,
फिल्म निर्देशक, बम्बई।

2 श्री मनि कौल,
फिल्म निर्देशक, बम्बई।

3 श्रीमती तेजी बच्चन

4 डा० वी० के० नारायण मेनन (भूतपूर्व महानिदेशक, आकाशवाणी)।

5 श्री के० एल० खाण्डपुर,
कन्ट्रोलर, फिल्म प्रभाग, बम्बई।

श्री के० के० खान, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, समिति के सदस्य सचिव होंगे।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) सामान्य रूप से भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के फिल्म सैक्शन के कार्य संचालन का अध्ययन करना तथा इसमें सुधार के उपाय तथा साधन सुझाना।

(2) विशेष रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं तथा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया की जांच पड़ताल करना और इनमें परिवर्तन सुझाना।

(3) विभिन्न पाठ्य विषयों के लिए सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की जांच करना और उसमें सुधार सुझाना;

(4) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दिये जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण की पद्धति का अध्ययन करना और उसमें सुधार सुझाना;

(5) भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए होस्टलों में उपलब्ध आवास, भोजन इत्यादि की सुविधाओं की जांच करना तथा विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्कों को ध्यान में रखते हुए सुधार सुझाना;

(6) संस्थान के आर्थिक, तकनीकी तथा अन्य स्रोतों के और अच्छे उपयोग के लिए उपाय तथा साधन सुझाना ताकि संस्थान से निकलने वाले डिप्लोमा होल्डरों का स्तर ऊंचा हो सके; और

(7) संस्थान में इस समय परीक्षाओं की जो पद्धति है उसकी जांच करना और उसमें सुधार सुझाना;

3. समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी। समिति का मुख्यालय पूना में होगा, परन्तु समिति उन अन्य स्थानों का भी दौरा कर सकेगी जो विषय की उपयुक्त जानकारी के लिए आवश्यक समझे जायें।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करेगी।

5. समिति अपना कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करेगी और जांच शुरू करने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधानमंत्रि सचिवालय, सभी मंत्रालयों और भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० दत्त, सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 1971

सं० क्यू०-16011/4/71-डब्ल्यू० ई० :—चूंकि 23 दिसम्बर, 1967 के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, में प्रकाशित श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या डब्ल्यू ई० 4/1/36/66, तारीख 28 नवम्बर, 1967 में अधिसूचित केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के गठन में परिवर्तन किया गया है, इसलिए जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iv) के अनुसार श्री गोपेश्वर महामंत्री, भारतीय राष्ट्रीय लोहा और इस्पात कर्मकार महासंघ, डाक बाक्स संख्या 108, जमशेदपुर, केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में श्री काशी नाथ पांडे के स्थान पर कर्मकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे।

2. तदनुसार 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी० 4/24/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए:—

वर्तमान निम्नलिखित प्रविष्टि:

15. श्री काशी नाथ पांडे, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस"	सदस्य	कर्मकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"16. श्री गोपेश्वर, महामंत्री, भारतीय, राष्ट्रीय लोहा और इस्पात कर्मकार महासंघ, डाक बॉक्स संख्या 108, जमशेदपुर-1"	कर्मकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ।

सं० क्यू० -16011 (4)/71-डब्ल्यू० ई० :—केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्द्वारा श्री एस० डब्ल्यू० धबे, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अयाचित मार्ग, सर्कल नं० 9, नागपुर-2, को जो केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य हैं, श्री काशीनाथ पांडे के स्थान पर, उक्त बोर्ड के सदस्य बनने के लिए नामित करती है ।

दिनांक 4 दिसम्बर 1971

सं० डब्ल्यू० ई०-48/7/70 :—अखिल भारतीय संघ कांग्रेस द्वारा श्री ए०बी० बार्धन को (केन्द्रीय) श्रमिक शिक्षा बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है । तदनुसार भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1, तदनुसार दिनांक 20 दिसम्बर, 1958/29, अग्रहायण 1880 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-4(24)/58, दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएंगे, अर्थात :—

"14. श्री विठल चौधरी, 178, चार्नी रोड, बम्बई,	कर्मकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ।

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाय :—

"14. श्री ए०बी० बार्धन, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, सदर नागपुर ।	कर्मकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ।

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th December 1971

No. 73-Pres./71.—The President is pleased to direct that in Notification No. 14-Pres./67, dated the 26th January, 1967, relating to the institution of Raksha Medal 1965, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India dated the 11th February 1967, the following shall be substituted for clause Fourthly :—

"Fourthly.—The medal shall be awarded to :—

(a) All Armed Forces personnel who were borne on the effective strength of the Armed Forces on the 5th August 1965 and had rendered service for 180 days or more on that date;

(b) Personnel of the units of the para-military forces as were under the operational control of the Army and had rendered service for 180 days or more on the 5th August, 1965; and

(c) Personnel of the units of the para-military forces who were operationally committed and were in the areas which qualify for Samar Seva Star 1965, subject to fulfilling the condition regarding the length of service as in (b) above.

The award may be made posthumously."

No. 74-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Jammu and Kashmir Police :—

Names and ranks of the officers.

Shri Syed Yousuf,
Constable No. 1114,
District Srinagar Police,
Jammu and Kashmir.

Shri Abdul Aziz,
Constable No. 562,
District Srinagar Police,
Jammu and Kashmir.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

With a view to conduct subversion and sabotage in the Valley, a group of 9 persons organised a raid on Islamia College, Srinagar, on the night of 25th/26th July, 1968, in order to break open the locks of the strong room where rifles belonging to the National Cadet Corps were kept. Before launching the attack, the telephone and electric wires were disconnected by the gang. In the early morning of 26th July, 1968, when Constable Syed Yousuf and Constable Abdul Aziz were on night patrolling, they heard some noise from the direction of Islamia College. Both of them rushed towards the spot and on reaching there found that two persons were holding daggers and were assaulting the chowkidar of the College. Even though Shri Syed Yousuf and Shri Abdul Aziz were unarmed they jumped on the armed assailants who attacked them with daggers. After a hard struggle they over-powered one of the assailants and snatched his dagger. They removed the injured chowkidar to the hospital.

Because of the extraordinary courage and devotion to duty exhibited by Shri Syed Yousuf and Shri Abdul Aziz, the attempts of the saboteurs to break open the locks of the strong room were foiled.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th July, 1968.

No. 75-Pres./71.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Sadul Singh,
Platoon Commander,
Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan.

Shri Gobind Singh,
Platoon Commander,
Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan.

Shri Daulat Singh,
Head Constable,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoits Lajja and Kunwarji had created a reign of terror in the adjoining districts of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. On 17th July, 1970, information was re-

ceived by the Police about the presence of these dacoits in village Tor in Dholpur Sub-division. On receipt of the information all available police force in Dholpur was collected and they were divided into four groups. While three groups occupied the railway track and the flanks on the right and left side of the village Tor respectively, the 4th group moved to the village to form the driving party.

Shri Sadul Singh was detailed near the railway line to check the escape of the dacoits and in order to encircle the village. The dacoits made efforts to get a way out and dacoit Lajja made a desperate attempt to cross the railway line under cover of fire of his associates. He also himself fired very rapidly. Though Shri Sadul Singh was fully exposed to the heavy fire from the dacoits, yet he stuck to his position and displayed conspicuous gallantry and devotion to duty and did not allow any dacoit to escape from this route. In this fast exchange of fire dacoit Lajja was killed. It was because of the gallantry of Shri Sadul Singh that the dacoits ultimately gave up the idea of breaking the police cordon from this side.

After the death of dacoit Lajja other members of the dacoit gang collected in different groups in the village with a view to manage their escape. Some dacoits collected in the southern portion of the village and took up positions in a broken ground which had been dug for preparing bricks by the villagers. The dacoits aimed heavy fire on Shri Gobind Singh and then made an attempt to escape. But Shri Gobind Singh stuck to his position and did not lose his balance of mind. He killed dacoit Kanchan and did not allow other dacoits to escape. He displayed outstanding valour and devotion to duty.

The encounter with the dacoits had continued for nearly 14 hours and several of the dacoits had been killed. The remaining dacoits rushed towards a cluster of Jhoompa and opened fire in the direction of the Police party. The dacoits were making desperate attempts to save their lives. Shri Daulat Singh exhibited great courage and killed two dacoits.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th July, 1970.

The 14th December 1971

No. 76-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names and ranks of the officers
Shri Kalyan Singh,
Additional Superintendent of Police,
Dholpur,
Rajasthan.
Shri Risal Singh,
Sub-Inspector of Police,
Dholpur,
Rajasthan.
Shri Deep Nath,
Constable,
Dholpur,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoits Lajja and Kunwarji had created a reign of terror in the adjoining districts of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. On 17th July, 1970 information was received by the Police about the presence of these dacoits in village Tor in Dholpur Sub-division. On receipt of the information all available police force in Dholpur was collected and they were divided into four groups. While three groups occupied the railway track and the flanks on the right and left sides of the village Tor respectively, the 4th group moved to the village to form the driving party.

Shri Kalyan Singh planned the whole action against the dacoits. He personally guided the entire deployment of force for encircling the village and thus exposed himself to great danger. Throughout the encounter which lasted for about 18 hours, Shri Kalyan Singh constantly went on moving with his force inspiring confidence in them. During the course of the encounter, dacoit Kunwarji took position on the roof of a double-storeyed house and indulged in heavy fire at the Police. Shri Kalyan Singh went near the bren-gunner and directed him to aim his burst towards the roof of the house. As a result of this action dacoit Kunwarji was liquidated. Shri Kalyan Singh exhibited conspicuous gallantry and exemplary leadership in the encounter.

Shri Risal Singh, Sub-Inspector of Police was incharge of the armed Police Personnel. He distributed the personnel into various groups. During the course of the encounter Shri Risal Singh noticed that some of the dacoits were hidden in a nearby Jhoompa. Suddenly dacoit Ram Singh bolted out with his rifle and aimed at Shri Risal Singh. He at once bodily overpowered the dacoit and shot him dead. In this bold act of bravery Shri Risal Singh displayed a high sense of devotion to duty and exemplary courage.

Shri Deep Nath was detailed near the railway line to check the escape route of the dacoits. Dacoit Lajja tried to cross the railway line in order to escape and fired on Shri Deep Nath but Shri Deep Nath and Shri Sadul Singh who was also with him remained undeterred and returned the fire. Even though Shri Deep Nath was completely exposed to the heavy fire of the dacoits, yet he stuck to the position and displayed great presence of mind and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal for gallantry and consequently in the cases of Shri Risal Singh and Shri Deep Nath, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th July, 1970.

The 16th December 1971

No. 77-*Pres.*/71—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and rank of the officer
Shri Ashok Kumar,
Assistant Commandant,
Border Security Force Academy.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 78-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force.

Name and rank of the officer
Shri Pramod Kumar Sharma,
Assistant Commandant,
Border Security Force Academy.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 79-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer.
Shri Anand Singh,
Constable No. 68104637,
'A' Company, 104 Battalion,
Border Security Force. (*Deceased*).

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April, 1971.

No. 80-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force.

Names and ranks of the officers
Shri Bharat Bhushan,
Assistant Commandant,
(Now Deputy Commandant),
Border Security Force Academy.
Shri Manohar Singh,
Inspector,
Border Security Force Academy.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Manohar Singh the award car-

ries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th April, 1971.

No. 81-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and ranks of the officers.
Shri Jaswant Singh Bajwa,
Assistant Commandant,
Border Security Force Academy.
Shri Harbhajan Singh,
Head Constable,
Border Security Force Academy.
Shri Niranjan Prasad,
Head Constable,
Border Security Force Academy.

2.These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the cases of Shri Harbhajan Singh and Shri Niranjan Prasad, the awards carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd April, 1971.

No. 82-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and ranks of the officers.
Shri B. S. Garcha,
Deputy Commandant,
Border Security Force Academy.

Shri Devi Singh,
Naik,
74th Battalion,
Border Security Force.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Devi Singh, Naik, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th April, 1971.

No. 83-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer.
Shri K. K. Bharadwaj,
Assistant Commandant,
26th Battalion,
Border Security Force.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President.

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 25th December, 1971

No. 4/6/71-*AIS*(*iv*).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1972 for the purpose of filling vacancies in the Indian Forest Service are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay, Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. (a) A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on 1st July, 1972, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd July, 1948 and not later than 1st July, 1952.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture, or in engineering of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A subject to the condition stipulated therein.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or in a temporary capacity, must obtain *prior permission of the Head of the Department to appear* for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for its candidature by any means may disqualify him for admission.

12. A candidate who in the opinion of the Commission has resorted to *impersonation or has submitted fabricated documents* or has submitted documents which have been tempered with or has made statements which are incorrect or false or has suppressed material information or has otherwise resorted to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or has used or has attempted to use unfair means, in the examination hall or has misbehaved in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from taking up any employment under them; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

14. A candidate who, on the results of the written part of the examination qualifies for the Personality Test will be separately asked to communicate to the Ministry of Home Affairs the order of preferences in which he would like to be considered for allotment to various States.

15. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies *decided to be filled on the results of the examination.*

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the Candidate for medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled *ex*-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of the Service.

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 Kilometres in 4 hours.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage

and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. It will be open to the Government of India not to appoint to the Indian Forest Service, a woman candidate who is married or to require such a candidate who is not married to resign from the Service in the event of her marrying subsequently if the maintenance of the efficiency of the Service so requires.

21. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

22. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 6)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham Bristol Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdee, Edinburgh, Glassgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sind.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 6)

*1. French-Examination "Propedeutique."

*2. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

*3. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

*4. Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry provided that the Course has been successfully completed as a "full student."

*5. Associateship or Fellowship of the Indian Institute of Science, Bangalore.

6. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.

7. Sections A and B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India).

8. Hons. Diploma in Civil or Mechanical Engineering of the Loughborough College, Leicestershire, provided that a candidate has passed the common preliminary examination or has been exempted therefrom.

*NOTE.—Qualifications 1 to 5 will not be acceptable unless the candidate has passed the examination with at least one of the subjects namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Forest Service comprises :—

(A) Written examination in—

(i) two compulsory subjects, *viz.*, General English and General Knowledge [*See* Sub-Section (a) of Section II below]—Maximum marks : 300

(ii) a selection from the optional subjects set out in Sub-Section (b) of Section II below, subject to the provisions of that Sub-Section candidates may take any *two* of these subjects—Maximum marks : 400

(B) Interview for Personality Test (*vide* Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission—Maximum marks : 200.

SECTION II

Examination Subjects

(*a*) Compulsory subjects [*vide* Sub-section A(*i*) of Section I above]:—

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150

(*b*) Optional subjects [*vide* Sub-Section A(*ii*) of Section I above]:—

	Maximum Marks
(1) Agriculture	200
(2) Botany	200
(3) Chemistry	200
(4) Civil Engineering	200
(5) Geology	200
(6) Agricultural Engineering	200
(7) Chemical Engineering	200
(8) Mathematics	200
(9) Mechanical Engineering	200
(10) Physics	200
(11) Zoology	200

Provided that the following restrictions shall apply to the above subjects :

(i) No candidate shall be allowed to take both the subjects at items (1) and (6) above.

(ii) No candidate shall be allowed to take both the subjects at item (3) and (7) above;

NOTE.—The standard and syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Sections (a) and (b) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Credit will be given for orderly effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

8. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Knowledge will be such as may be expected of a Science/Engineering graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will approximately be that of the Bachelor's degree (Pass) of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) General English

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passage will usually be set for summary or precis.

(2) General Knowledge

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

(3) Agriculture

Candidates will be required to answer questions on (A) and (B) or (A) and (C).

(A) *Agricultural Economics*

Meaning and scope of agricultural economics, significance of study and its relationship with other sciences, importance of agriculture in Indian economy, contribution to national income, comparison with other countries, study of significant economic problems in Indian agricultural production, marketing, labour, credit etc.

Nature of study of farm management, its meaning and scope, relation to other physical and social sciences, concepts and basic principles in farm management. Types and systems of farming-determining factors. Planning for profitable use of land, water, labour and equipment methods of measuring farm efficiency, nature and purpose of farm bookkeeping, farm records and accounts, financial accounting, enterprize accounting and complete cost accounting.

(B) *Agronomy*

Crop Production—Detailed study of KHARIF crops: Paddy, Maize, Jowar, Bajra, Groundnut, Til, Cotton Sunhemp, Moong, Urd with reference to their introduction distribution, seedbed preparation, improved varieties sowing and seed-rate, inter-culture, harvesting and physical inputs of production of crops.

Detailed study of important RABI crops; Wheat, Barley, Gram, Mustard, Sugarcane, Tobacco, Berseem, with reference to their origin, history, distribution, soil and climatic requirements; seedbed preparation improved varieties, sowing and seed-rate interculture, harvesting, storing, physical inputs of crops.

Weeds and Weed Control—Classification of weeds; habitat and characteristics of important weeds of India, Injurious effects and losses caused by weeds, chief agencies of weed dissemination, cultural, biological and chemical control of weeds.

Principles of Irrigation and Drainage—Necessity and sources of irrigation water, water requirements of crops, common water lifts, duty of water, prevention of wastage of irrigation water, system and methods of irrigation, advantage and limitations of each method. Measurement of irrigation water. Soil moisture, different forms of soil moisture and their importance. Drainage and its necessity, harm caused by excessive water methods of drainage.

(C) *Soil Science & Soil Conservation*

Definition of soil, its main components, soil, profile, soil mineral colloids, cation exchange capacity, base saturation percentage, ion exchange, essential nutrients for plant growth, their forms in the soil and their role in plant nutrition. Soil organic matter its decomposition, and its effect on soil fertility. Acid and alkali soils, their formation, and reclamation. Effect of organic manures, green manures and fertilizers on soil properties. Properties of common nitrogenous phosphatic and potassic fertilizers.

Mechanical composition and soil texture, soil pore space, soil structure, soil water, types of soil water, its retention movement, availability and measurement of soil water. Soil temperature, soil air and its importance. Soil structure its forms and their effect on the physio-chemical properties of soil.

Soil Morphology and Soil Surveying—Earth's crust: soil forming rocks and minerals, their composition and importance in soil formation. Weathering of rocks and minerals factors and processes of soil formation; great soil groups of the world and their agricultural importance. Study of Indian soils. Soil survey and classification.

Principles of Soil Conservation—Soil erosion, factors effecting erosion, soil conservation, soil properties in relation to agronomic and engineering practices, land drainage needs and practices for agricultural lands, land use classification. Soil conservation, planning and programme.

(4) Botany

1. *Survey of the Plant Kingdom.*—Difference between animals and plants; Characteristics of living organism: Unicellular and multicellular organism: Viruses; basis of the division of the plant kingdom.

2. *Morphology.*—(i) Unicellular plants—cell, its structure and contents: division and multiplication of cells.

(ii) Multicellular plants—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants: external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history.*—of at least one members of the following categories of plants:—Bacteria, cyanophyceae. Chlorophyceae Phaeophyceae. Rhodophyceae Phycompycetes. Ascomycetes. Basidiomycetes. Liverworts, Mosses. Pteridophytes. Gymnosperms and Angiosperms.

4. Taxonomy.—Principles of classification; principal systems of classification of angiosperms; distinctive features and economic importance of the following families:—Graminea Scitaminae. Palmaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Moraceae, Loranthaceae. Magnoliaceae, Lauraceae, Cruciferae, Rosaceae, Leguminosae, Rutaceae. Meliaceae, Euphorbiaceae. Anacardiaceae. Malvaceae. Apocynaceae. Asclepiadaceae. Dipterocarpaceae. Myrtaceae. Umbelliferae, Labiatae. Solanaceae, Rubiceae. Cucurbitaceae. Verbanaceae and Compositae.

5. *Plant Physiology.*—Autotrophy, heterotrophy, Intake of water and nutrients, transpiration, photosynthesis, mineral nutrition, respiration growth, reproduction: plant/animal relation, symbiosis, parasitism, enzymes, auxims, hormones, photoperiodism.

6. *Plant Pathology.*—Cause and cure of plant diseases; Disease organisms, Viruses, deficiency disease; Disease resistance.

7. *Plant Ecology.*—The basic facts relating to ecology and plant geography, with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.

8. *General Biology.*—Cytology, Genetics, plant breeding, Mendelism, hybridvigour, Mutation, evolution.

9. *Economic Botany.*—Economic uses of plants, esp. flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber, drugs and essential oils.

10. *History of Botany.*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

(5) *Chemistry*

1. *Inorganic Chemistry* :

Bohr's model of hydrogen atom. Electron, proton and neutron, Periodic law. Atomic nucleus, natural radioactivity. Elementary treatment of the nature of the chemical bond. Complex salts. Inert gases. Chemistry of more common and useful elements and their compounds. Common oxidising and reducing agents. Metallurgy of iron, copper aluminium, gold, silver, nickel, zinc and lead. Glass, silicates, Nitrogen fixation, artificial manures. Steel industry.

Basic principles of chemical analysis.

2. *Organic Chemistry* :

Petroleum products, saturated and unsaturated hydrocarbons. Chemistry of simple derivatives of aliphatic chain compounds of three carbonatoms : alcohols, aldehydes, ketones, acids, halides, esters, ethers, acid anhydrides, chlorides and amides. Monobasic hydroxy, ketonic and amino acids. Organometallic compounds, malonic and acetoacetic esters. Tartaric, citric, maleic, and fumaric acids. Stereo, and geometric isomerism. Carbohydrates, including starch and cellulose.

Products of coal tar distillation. Benzene and the chemistry of its simple derivatives : Toluene, xylene, phenols, halides, nitro and amino compounds, benzoic, salicylic cinnamic mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Naphthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry* :

Kinetic theory of gases. Van der Waal's equation, critical and corresponding states, liquefaction of gases. Some physical properties of liquids in relation to their structure Van't Hoff's theory of dilute solutions; osmotic pressure and related properties. Law of massaction, rate and order of reactions, temperature coefficient of reaction rates. Electrolysis, electrolytic conductance and its applications. Ionic equilibria, Ostwald's dilution law, ionisation constant of water, hydrolysis, solubility product. Lewis concept of acid and base, buffer solutions, pH value and theory of indicators.

Colloids, Lyophobic and lyophilic, their general properties Adsorption, catalysis.

Heterogeneous equilibria, phase rule and its application to one component systems.

Quantum hypothesis, laws of photochemistry.

(6) *Civil Engineering* :

1. *Building materials and Properties and Strength of materials*—

Building materials—Timber, stone, brick, lime, tile, sand surkhi, mortar and concrete, metal and glass—Structural properties of metals and alloys used in engineering practice.

Stresses and strains—Hooke's law—Bending. Torsion and direct stresses. Elastic theory of bending of beams maximum and minimum stresses due to eccentric loading. Bending moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. *Building construction and water supply and sanitary engineering*—

Construction—Brick and stone masonry; walls, floors and roofs, staircases, carpentry in wooden floors, roofs, ceilings, doors and windows, finishes (plastering, pointing, painting and varnishing etc.)

Soil mechanics—Soils and their investigations; Bearing capacities and foundations of buildings and structures—principles of design.

Building estimates—Principles, units of measurement; Taking out quantities for buildings and preparation of abstract of costs—specifications and data sheets for important items.

Water supply—Sources, of water, standards of purity, methods of purification, layout of distribution system, pumps and boosters.

Sanitation—Sewers, storm water overflows, house drainage requirements and appurtenances, septic tanks, Imhoff tanks, sewage treatment and dispersion trenches—Activated sludge process.

3. *Roads and bridges*—

Survey and alignment—Highway materials and their placements—Principles of design—width of foundation and pavement, camber, gradient, curves and super-elevation—Retaining walls.

Construction—Earth roads, stabilized and water bound macadam roads, bituminous surfaces and concrete roads. Drainage of roads : Bridges—Types, economical spans, I.R.C. loadings, designing superstructure of small span bridges—Principles of designing foundation of abutments and piers of bridges, pile and well foundations.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4. *Structural Engineering*—

Steel structures—Permissible stresses; Design of beams, simple and built-up columns and simple roof trusses and girders—column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns—Bolted; rivetted and welded connections.

R.C.C. structures—Specifications of materials used—proportioning workability and strength requirement—I.S.I. standards for design loads, permissible stresses in R.C.C. members subject to direct and bending stresses—Design of simply supported, overhanging and cantilever beams, rectangular and Tee beams in floors, roofs and lintels—axially loaded columns, their bases.

(7) *Geology*

1. *General Geology* :

Origin, age and interior of the Earth different geological agencies and their effects on topography; weathering and erosion : Soil types, their classification and soil groups of India; Physiographic sub-divisions of India, Vegetation and topography, Volcanoes, earthquakes, mountains diastrophism.

2. *Structural Geology* :

Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Dip, strike and slopes; folds faults and unconformities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy* :

Elementary knowledge of crystal symmetry, Laws of Crystallography, crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology* :

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology* :

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy* :

Principles of Stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological record. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaeontology* :

The bearing of palaeontological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

(8) *Agricultural Engineering* :

1. *Soil and Water Conservation.*—Definition and scope of soil conservation; Mechanics and types of erosion their causes, Hydrologic cycle, rainfall and runoff—factors effecting them and their measurements, stream gauging. Evaluation of runoff from rainfall. Erosion control measure—Biological and Engineering.

Basic open channel hydraulics. Design of soil conservation structures—terraces, bunds, outlets and grassed waterway. Principles of flood control. Flood routing. Design of farm ponds and earth dams. Stream bank erosion and its control. Wind erosion and its control. Principles of watershed management.

Investigation and planning in River Valley projects.

2. *Irrigation and drainage.*—Soil-water-plant relationships. Sources and types of irrigation. Planning and design of minor irrigation projects. Techniques of measuring soil moisture.

Duty of water-Consumptive use. Water requirements of crops. Measurement and cost of irrigation water. Measuring devices—flow through orifices wires and flumes. Levelling and layout of irrigation systems. Design and construction of canals, field channels, pipe lines, head-gates, diversion boxes, structures and road crossings. Occurrence of ground water, Hydraulics of wells. Types of wells, their construction, drilling methods. Well development. Testing of wells.

Drainage—Definition—causes of water logging. Methods of drainage. Drainage of irrigated lands. Design of surface and sub-surface systems.

3. *Building materials.*—Kinds of building materials.—their properties. Timber, brickwork, and R. C. construction. Design of columns, beams roof trusses, joints. Layout of a farmstead. Design of farm houses, animal shelters and storage structures. Rural water supply and sanitation.

4. *Farm power and machinery.*—Construction of different types of internal combustion engines. Ignition, fuel lubricating, cooling and governing systems of I.C. engines. Different types of tractors Chasis, transmission and steering. Farm machinery for primary and secondary tillage, seeding machinery, interculture tools and machinery. Plant protection equipment. Harvesting and threshing equipment. Machinery for land development. Pumps and pumping machinery.

5. *Electricity and rural electrification.*—Power generation and transmission; Distribution of electricity for rural electrification; A.C. and D.C. circuits.

Uses of electric energy on the farm. Electric motors used in agriculture—types selection, installation and maintenance.

(9) Chemical Engineering :

1. Transport phenomena : (Under steady state conditions) :

(a) *Momentum trnasfer* : (i) Different patterns of flow and their criteria

(ii) Velocity profile

(iii) Filtration, sedimentation; centrifuge.

(iv) Flow of solids through fluids.

(b) *Heat transfer* : Different modes of heat transfer : Conduction—calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes.

Convection—different dimensionless groups used in forced and free convection. Equivalent diameter. Determination of individual and overall heat transfer coeff.

Evaporation—Radiation—Stefan-Boltzman law.

Emmissivity and absorptivity. Geometrical Shape factor.

Heat load of furnaces—calculation.

(c) *Mass transfer* : Diffusion in gases and liquids. Absorption, desorption humidification, dehumidification, drying and distillation. Analogy between Momentum, heat, and mass and transfer.

2. *Thermodynamics* :

(a) 1st, 2nd and 3rd Laws of thermodynamics.

(b) Determination of internal energy, entropy enthalphy and free energy—Determination of chemical equilibrium constants for homogeneous and heterogeneous systems. Use of thermodynamics in combustion, distillation and heat transfer. Mechanism and theory of mixing, various mixers for liquid—liquid, solid—liquid and solid—solid.

3. *Reaction engineering* :

(i) Kinetics : Homogeneous and heterogeneous reactions 1st and 2nd order reactions.

Batch and flows—Reactors and their design.

(ii) Catalysis—Choice of catalysts;
Preparations;
Mechanics of catalysts based upon mechanism.

4. *Transportation.*—Storage and transport of materials and in particular, powders, resins, volatile and non-volatile liquids. emulsions and dispersions, pumps, compressors, and blowers. Mixers—Mechanisms and theory of mixing various mixers for liquid—liquid; solid-liquid; solid—solid.

5. Materials.—Factors that determine choice of materials of construction in chemical industries. Metals and alloys, ceramic, plastics and rubbers. Timber and timber products, plywood laminates.

Fabrication of equipment, with particular reference to production of vats, barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control—Mechanical, hydraulic, pneumatic, thermal, optical magnetic, electrical and electronic instruments, Controls and control systems. Automation.

(10) Mathematics

1. Algebra, Trigonometry and Theory of Equations with Determinants.
2. Pure Plane Geometry and Analytical Geometry of two dimensions.
3. Differential and Integral Calculus and Differential equations.
4. Statics Dynamics and Hydro-statics.

or

Statistics

(11) *Mechanical Engineering*

1. *Strength of Materials*

—Stresses and strains—Hooke's Law and relations between elastic constants—Compound bars in tension and compression and stresses due to temperature changes.

Bending Moment, shear force and deflection in simply supported, overhanging and cantilever beams for simple loading.

Torsion in round bars—Transmission of power by shafts—springs.

Simple cases of combined bending and direct stresses, and combined bending and torsion.

Elastic Theory of failure—Stress concentration and fatigue.

2. *Theory of Machines and Machine Design*

Relative velocities of parts in machines graphically and by calculation.

Crank effort diagram of engines—Speed-variation of flywheels. Governors. Power transmitted by belt drives—Friction and lubrication of journals and thrust bearings, ball and roller bearings. Design of fastenings and locking devices—Proportions for rivetted, bolted and welded joints and fastenings.

3. *Applied Thermodynamics*

Fuels Combustion—Air supply—Analysis of fuels and exhaust gases.

Boilers, Superheaters and Economisers—Boilers mountings and accessories—Boiler trial.

Physical properties of steam—steam tables and their use.

Laws of Thermodynamics—Gas laws—Expansion and compression of gases—Air compressors.

Ideal and actual engine cycles—Use of temperature—entropy, heat-entropy and pressure-volume charts and diagrams.

Simple Steam engines and Internal combustion engines.

Indicators and Indicator Diagrams—Mechanical, Thermal, air standard and actual efficiencies—General construction—Engine trial and heat balance.

4. *Production Engineering*

Common machine tools—Working principles and design features of Lathes, shapers, planers, drilling machines—Milling machines—Grinding machines—Jigs and fixtures. Metal cutting tools—Tools materials—Tool geometry.

Cutting forces—Abrasive wheels.

Welding—Weldability and different welding processes—Testing of welds.

Forming process—moulding, casting, forging, rolling and drawing of metals.

Metrology—Linear and angular measurements—Limits and fits. Measurement of screws and gears—Surface finish—Optical instruments.

Industrial engineering—Methods study and work measurement—Motion-time data—Work sampling—Job evaluation. Wages and incentives—Planning, control. Plant layout.

5. *Fluid Mechanics and Water power*

Bernoulli's equation—Moving plates and vanes—Pumps and turbines. Design principles, applications, and characteristic curves; Principles of similarity; Governing—Hydraulic accumulators and intensifiers—Cranes and lifts—Surge tanks and Storage reservoirs.

(12) Physics

1. *General properties of matter and mechanics.*

Units and dimensions; Scalar and vector quantities; Moment of inertia, work, energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion; Simple and compound pendulum; Kater's pendulum; Elasticity; Surface tension; Viscosity of liquids, Rotary pump; Mcleod gauge.

2. *Sound*

Damped, forced and free vibrations; Wave motion, Doppler effect; Velocity of sound waves; Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars, plates and gas columns; Resonance; Beats; Stationary waves; Measurement of frequency, velocity and intensity of sound; Musical scales; Acoustics in architecture; Elements of ultrasonics. Elementary principles of gramophones talkies and loudspeakers.

3. *Heat and thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases; Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzman's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thomson effect; liquifaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem; Laws of thermodynamics and simple applications. Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their corrections; Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; Simple interferometer; Diffraction; Diffraction Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5. *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases, Gauss theorem and simple applications; Electrometers, Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hysterists, permeability and susceptibility; Magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination; thermoelectric effects; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

(13) Zoology

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure, habits, and life-history of the following non-chordate types :

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverfluc, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach, housefly-mosquito, scorpion, freshwater mussel, pond snail and starfish (external characters only).

Economic importance of insects. Bionomics and life-history of the following insects : termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordata up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types :

Branchiostoma; Scolidon; frog; Uromastix or any other lizard (Skeleton of *Varanus*); pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammalian placenta.

General principles of evolution, variations heredity; adaptation; recapitulation hypothesis; Mendelian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis; metamorphosis; alternation of generations.

Ecological and geological distribution of animals, with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India, including poisonous and non-poisonous snakes; game Birds.

PART B

Personallty Test.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service. The candidate will be expected to have taken an intelligent interests not only in his subjects of academic study but also in events which are happening around him both within and without his own State or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the mental qualities of the candidate. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity critical powers of observation and assimiliation, balance of judgement and alertness of mind initiative, tact, capacity for leadership; the ability for social cohesion, mental and physical energy and powers of practical application; integrity of character; and other qualities such as topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX III

(*Vide* Rule 22)

Brief particulars relating to the Indian Forest Service (*vide* Rule 22).

(a) Appointments will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

Senior Scale.—Rs. 700 (6th year or under)-40-1100-50/2-1250.

Conservator of Forests.—Rs. 1300-60-1600-100-1800.

Chief Conservator of Forests.—Rs. 2000-125-2250.

Inspector General of Forests—Rs. 3,000 (Fixed).

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) Provident Fund—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) Leave.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955.

(i) Medical Attendence.—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(*vide* Rule 18)

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or acept any candidate after considering the report of the Medical Board].

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. *Walking test.*—The candidate will be required to qualify in walking test of 25 Kilometres to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Government of India so as to synchronise with the sittings of the Medical Board.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever co-relation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) The Minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
163 cms.	84 cms.	5 cms. (for men)
150 cms.	79 cms.	5 cms. (for women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

4. The candidates height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttock, and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render, or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye
6/6 6/9	6/12 6/9	J.I	J.II

NOTE :—

(1) *Fundus Examination.*—Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(2) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Grade of Colour Perception
1. Distance between the lamp and candidate	4·9 metres
2. Size of aperture	1·3 mm.
3. Time of exposure	5 sec.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(4) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is, prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, *e.g.* recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(5) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated, shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—As the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

8. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic presure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude, the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is no ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect.

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease jointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by a treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum.* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name, in full (in block letters) .....

2. State your age and birthplace .....

2. (*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race.

3. (*a*) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting, attacks, rehumatism, appendicitis ?.....

Or

(*b*) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?.....

4. When were you last vaccinated?.....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ?.....

6. Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause death

7. Have you been examined by a Medical Board before ?.....

8. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ?.....

9. Who was the examining authority ? .....

10. When and where was the Medical Board held ?.....

11. Result of the Medical Board's Examination, if communicated to you or if known.....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Signed in my presence.

Candidates' signature.

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By willfully suppressing any information will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(*b*) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination

1. General development: Good.....Fair.....Poor.....

Nutrition: Thin.....Average.....Obese.....
Height (Without shoes).....Weight.....
Best Weight.....When ? .....Any recent change in weight?.....Temperature.....

Girth of Chest.

(1) (After full impiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin: any obvious disease.....

3. Eyes:

(1) Any disease

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity.....

(6) Fundus Examination.....

Acuity of vision		Naked eye	With glasses	Strength of glass sph.	Cyl.	Axis
Distant	.. ..	R.E. L.E.				
Near vision	.. ..	R.E. L.E.				
Hypermetropia (manifest)	.. ..	R.E. L.E.				

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear..... Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid .....

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory System: Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?..... If yes, explain fully.....

8. Circulatory System:

(*a*) Heart: Any organic lesions ?.....Rate Standing.....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(*b* Blood Pressure : Systolic.....Diastolic.....

9. Abdomen: Girth.....Tenderness..... Hernia.....

(*a*) Palpable. Liver.....Spleen..... Kidneys.....Tumours.....

(*b*) Henorrhoids .....Fistula.....

10. Nervous System Indication of nervous or mental disability.....

11. Loco-Motor System: Any Aynormality.....

12. Genito Urinary System: Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis:

(*a*) Physical appearance

(*b*) Sp. Gr.....

(*c*) Albumen.....

(*d*) Sugar.....

(*e*) Casts.....

(*f*) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

15. Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories.

(*i*) Fit

(*ii*) Unfit on account of.....

(*iii*) Temporary unfit on account of.....

Place.....

Date.....

Chairman.....

Member

Member

6—381GI/71

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th December 1971

No. 16/4/71-*C. S. II*—The following corrections shall be made in the rules for the Qualifying Examination for Hindi Stenographers, 1972, as published in the Cabinet Secretariat (Department of Personel) Notification No. 16/4/71-C. S. II, dated the 4th September, 1971, in Part I Section (1) of the Gazette of India namely :—

Reference	*Corrections*
RULES	
1. Page 797, col. 2, rule 1, line 3.	For the words 'addition' substitute the word 'additions'.
2. Page 798, col. 1, Note under rule 9, lines 15 & 16.	For the words "Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967" substitute the words "the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967".
APPENDIX	
3. Page 798, col. 2, para 2, lines 1 & 2.	For the words "Allowed" and "each" substitute the words "allotted" and "the" respectively.
4. Page 798, col. 2, page under para 2.	Substitute the existing page under para 2 as under—

Subject	Maximum marks	Time allowed
Hindi and General knowledge. (a) Hindi 50 (b) General 50 English	100	3 hours

5. Page 798, col. 2, para 10, line 2.	For the word "tht" substitute the word "the".

M. K. VASUDEVAN, Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 8th November 1971

*No. A.*11019(5)/71-*Adm.III(LA)*.—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. F. 3(50)/68-Adm.III(LA), dated the 22nd May, 1968, the Central Government hereby authorises each of the following Members of the Income-tax Appellate Tribunal for the purposes of the said Sub-section, namely :—

1. Shri B. S. Kasbekar, Accountant Member.
2. Shri Harnam Shankar, Accountant Member.
3. Shri H. M. Jhala, Accountant Member.
4. Shri V. Seturaman, Judicial Member.
5. Shri P. R. Sunkersett, Judicial Member.
6. Shri R. C. Desai, Judicial Member.
7. Shri J. Sen, Accountant Member.
8. Shri S. Ranganathan, Judicial Member.
9. Shri P. D. Mathur, Accountant Member.
10. Shri V. Ramaswamy Iyer, Judicial Member.
11. Shri D. Rangaswamy, Accountant Member.
12. Shri T. D. Sugla, Judicial Member.
13. Shri G. Ghosh, Accountant Member.
14. Shri V. P. Tewari, Judicial Member.
15. Shri G. R. Desai, Accountant Member.
16. Shri A. C. Maitra Judicial Member.

The 2nd December 1971

No. A. 11019(5)/71-*Adm.III(LA)*.—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs) No. A.11019(5)/71-Adm.III(LA),

dated the 8th November, 1971, the Central Government hereby authorises, each of the following members of the Income-tax Appellate Tribunal, for the purposes of the said sub-section, namely :—

1. Shri V. Vasudevan, Accountant Member.
2. Shri B. B. Palekar, Accountant Member.
3. Shri A. M. Rao, Accountant Member.

P. B. VENKATASUBRAMANIAN, Jt. Secy. & Legal Adviser

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 30th November 1971

CORRIGENDUM

No. 1/8/70-*HC*.—The addresses given in this Ministry's Resolution No. 1/8/70-HC, dated the 7th January, 1971, reconstituting the All India Handicrafts Board as subsequently modified, may be *substituted* as follows :—

In. S. No.	*For*
29.	Shri Mohd. Yusuf, C1/16-Pandara Road, New Delhi.
Substitute	
	Shri Mohd. Yusuf, 24-Gurdwara Rakabganj, New Delhi.

T. S. PARAMESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Audyogik Vikas Mantralaya)

New Delhi, the 27th August 1971

No. 58/2/71-*TD*.—In exercise of the powers vested under Rule 32 of the Memorandum and Rules & Regulations of the Inventions Promotion Board, New Delhi, the Government of India hereby appoint Shri Abid Hussain, Joint Secretary in the Ministry of Industrial Development as Vice President in place of Shri N. J. Kamath, Joint Secretary who has resigned from the Governing Council of Inventions Promotion Board constituted under this Ministry's Notificatoin No. 10(4)/67-SSI(B), dated the 19th December, 1968.

A. P. SARWAN, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 7th December 1971

No. 2(2)/67-*EI*(*M*)/*EEI*.—Government of India had constituted a Panel for the Steel Castings Industry *vide* Resolution No. 2(2)/67-EI(M), dated 21st April, 1969, with a view to examine the various matters relating to the development of the industry. The term of the Panel having since expired on 20th April 1971, Government have decided to reconstitute the Panel for Steel Castings Industry for a fresh term of two years from the date of issue of this Resolution.

2. The terms of reference of the Panel are :—

(a) Projection of demand typewise, sizewise, specification-wise for the Fifth Plan.

(b) Review of capacities, units already in production and gaps, if any, to be filled.

(c) Diversification of existing units either to increase production or produce new range of production.

(d) Problems, if any, regarding raw materials, maintenance spares etc.

(e) Development of production machinery and equipment for this industry as are not developed so far, to reduce the dependence on foreign exchange; and

(f) Other matters of interest that may arise from time to time.

3. This advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently, if occasion warrants, at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by it.

4. The Panel will consist of :—

Chairman

1. Shri N. J. Kamath, Joint Secretary, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

Members

2. Shri V. P. Soni, Joint Director, (Development), Ministry of Railways (Railway Board), Rail Bhavan, New Delhi.
3. Shri D. K. Chakravorty, General Manager, (SG), Metal & Steel Factory, Ishapore, (West Bengal).
4. Shri P. R. Latey, Chief (Engineering), (Industry & Mineral Division), Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi.

Member-Secretary

5. Shri R. M. Balani, Development Officer, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

Members

6. Shri G. Bandopadhyay, Planning Officer, Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1.
7. Shri D. R.Malik, General Manager, Heavy Electrical Equipment, Hardwar (U.P.).
8. Shri S. K. Swarup, Vice President, Uttar Pradesh Steels Ltd., Sukhbir Sinha Park, Civil Lines, Muzaffarnagar (U.P.).
9. Shri Dhiroo N. Mehta, Sales Manager, M/s. Mukand Iron & Steel Works Ltd., Kurla, Bombay-70.
10. Shri V. Ramakrishnan, Officer Co-ordination, M/s. Shri Ramakrishna Steel Industries Ltd., Karamadai P.O., Coimbatore District, Tamil Nadu.
11. Shri B. Bhandari, Chief Executive, M/s. Kumardhubi Engineering Works Ltd., Chartered Bank Buildings, Calcutta-1.
12. Shri C. L. Sen Gupta, President Manager, M/s. M.N. Dastur & Co. (P) Ltd., Consulting Engineers, 2-Rajdoot Marg, Chanakyapuri, New Delhi-11.
13. Shri S. K. Agrawal, Textile Machinery Corporation Ltd., P.O. Belgharia, 24-Parganas (West Bengal).
14. Shri R. Veerabasappa, Divisional Manager, Foundries, The Mysore Iron & Steel Ltd., Bhadravati (Southern Railway).
15. Shri D. Srinivasan, Executive Secretary, Steel Furnace Association of India, 1A Monalisa, 17, Came Street, Calcutta-17.
16. Shri F. A. A. Jasdanwalla, President, The Institute of Indian Foundrymen, C/o. The Indian Standard Metal Co. Ltd., Chinchpokli Cross Lane, Bombay-27.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SETHI, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December 1971

No. 3-5/69-*FD*.—In view of the constitutional changes in the status of some of the Union Territories and the creation of new States/Union Territories of Meghalaya, Haryana and Chandigarh, Government of India, in partial modification of earlier odrers contained in the then Ministry of Food & Agriculture (Department of Agriculture) letter No. 3-47/58-FD, dated the 12th November, 1958 and resolution No. 3-4/66-FD, dated the 5th July, 1966 as amended from time to time, have decided to reconstitute the Standing Committee of the Central Board of Forestry, as follows :—

1. Union Minister of State in-charge of Forestry Chairman.
2. Union Deputy Minister for Agriculture Vice-Chairman.

3-6. One State Minister for Forests from each of the four zones constituted as under (to serve on the Committee in rotation).

Members

(i) *Eastern Zone* : Assam(Meghalaya, West Bengal, Bihar Nagaland, Orissa, Manipur, Tripura, (NEFA Andaman & Nicobar Islands will be grouped with this zone for pre-Standing Committee meetings).

(ii) *Northern Zone* : Uttar Pradesh, Punjab, Haryana. Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir (Delhi and Chandigarh will be grouped with this zone for pre-Standing Committee meetings).

(iii) *Western Zone* : Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh and Goa, Daman & Diu.

(iv) *Southern Zone* : Tamil Nadu, Mysore, Kerala and Andhra Pradesh.

7. Secretary to the Government of India Departments of Agriculture, C.D. & Cooperation.
8. Inspector-General of Forests.
9. President, Forest Research Institute, and Colleges Dehra Dun.

Member-Secretary

10. Secretary, Central Board of Forestry.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SONI, Inspector General of Forests and *Ex-Officio* Addl. Secy.

New Delhi-1, the 8th December 1971

(FAMINE)

No. 15-4/71 *SR.*—In pursuance of the provisions of the Bye-law 7 made under Rule 7 of the Rules for the Administration of the Indian People5s Famine Trust, the Central Government are pleased to publish the audited accounts of receipts, disbursements and assests of the Indian People's Famine Trust for the period from 1st July 1970 to 30th June, 1971 as below :—

(Please insert here the attached Schedules I & II for the year 1970-71).

M. SHAMS-UD-DIN, Under Secy.

'SCHEDULE-I'

INDIAN PEOPLE'S FAMINE TRUST

STATEMENT SHOWING DETAILS OF ACCOUNTS AT THE CLOSE OF 30-6-1971

	Rupees
1. Endowment Fund in Govt. Securities Vested in Treasurer, Charitable Endowment West Bengal . . . . . 3% conversion loan of 1946 (Face value)	32,78,400·00
2. Short term Investments with the S.B.I., New Delhi	70,255·00
3. Cash with the State Bank of India, New Delhi as on 30-6-1971. (Current account) .	70,588·23
TOTAL . . .	34,19,243·23

SCHEDULE. II

INDIAN PEOPLES FAMINE TRUST

ABSTRACT ACCOUNT OF RECEIPTS & DISBURSEMENT DURING THE PERIOD FROM 1-7-70 to 30-6-71

		Rupees		*Rupees*	*Rupees*
1. Opening Balance	Current Account	54,273·36	1. Payment of grant to Assam	15,000·00 10,000·00	25,000·00
2. Interest on Endowment Fund of Rs. 32,78,400·00 Interest	98,352·00		2. Bank Charges	—	·061
Less fee recovered at source by the Treasurer, Charitable Endowment, West Bengal.	983·52	97,368·48	3. Honorarium to Accts.	—	300·00
3. Refund of unspent balance		14,068·25	4. Payment to UP Orphans.	—	240·00
4. Interest on Short term Deposits with the S.B.I., New Delhi.		673·75	5. Closing balance. (1) Investment on short term Deposits with the S.B.I.	70,255·00	
			(2) Cash in Bank	70,588·23	1,40,843·23
TOTAL Rs.		166,383·84	TOTAL Rs.		166,383·84

CHECKED & FOUND CORRECT
Accountant General
Central Revenues.

D. D. DHINGRA, Honorary Secretary

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 27th September 1971

*No. PL-*4(32)/68.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. PL-4(32)/68, dated the 14th August 1969 copy enclosed), the Central Assessment Committee reconstituted thereunder will hereafter be composed as under :

(i) The Director General (Road Development), Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing);

(ii) The President, Indian Roads Congress;

(iii) The Director, Central Road Research Institute;

(iv)&(v) Two Chief Engineers of States;

(i) Chief Engineer (Roads), Rajasthan, P.W.D., Jaipur.

(ii) The Chief Engineer ,Andhra Pradesh, Public Works Department (R&B), Hyderabad.

(vi) (vii) Two directors of State Road Research Laboratories :

(i) The Director, Testing Research Institute, Government of Bihar, Patna.

(ii) The Director, Road & Building Research Institute, Calcutta.

(viii) One member from a non-Governmental Organisation.

Shri A. D. Dhingra, Managing Director, Heatly & Gresham Ltd., 43, Forbes Street, Fort, Bombay.

The terms and conditions will be the same as indicated in the Resolution referred to.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be published in the the State Governments/Administrations, Planning Commission, Ministry of Finance (T&P Division), Ministry of Education (Department of Science), Director General, Council of Scientific and Industrial Research, Director General, Central Road Research Institute, the President, Indian Roads Congress, Secretary, Indian Roads Congress and Shri A. D. Dhingra, Managing Director, Heatly and Gresham Ltd. 43, Forbes Street, Fort, Bombay-1.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

New Delhi-1, the 14th August 1969

No. PL-4(32)/68.—In pursuance of para 5 of the late Ministry of Transport and Communications, Department of Transport (Roads Wing), Resolution No. PL-4(9)/59-Pt.II, dated the 8th August 1961, and with reference to para 3 of the late Ministry of Transport (Roads Wing) Resolution No. PL-4(10)/64, dated the 30th October, 1965, the Central Assessment Committee set up in terms of the Resolution dated the 8th August 1961 referred to above, is reconstituted as under :

(i) The Director General (Road Development), Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing);

(ii) The President, Indian Roads Congress;

(iii) The Director, Central Road Research Institute;

(iv)&(v) Two Chief Engineers of States;

(i) The Chief Engineer, Rajasthan, P.W.D. (B&R), Jaipur.

(ii) The Chief Engineer, Andhra Pradesh, Public Works Department, (R&B), Hyderabad.

(vi)&(vii) Two Directors of State Road Research Laboratories :

(i) The Director, Testing Research Institute. Government of Bihar, Patna.

(ii) To be indicated later.

(viii) One member from a non-Governmental Organisation

Shri A. D. Dhingra, Managing Director, Heatly and Gresham Ltd., 43 (Forbest Stree, Fort. Bombay.

The Director General (Road Development) shall continue to be the convenor of the Committee and Prof. C. G. Swaminathan, Scientist nominated by the Director, Central Road Research Institute will act as the Secretary to the Committee.

2. In addition, as stated in para 3 of the aforesaid Resolution dated the 8th August 1961, while examining the road projects of a particular State, and while recommending suitable new techniques for replacing conventional ones, the Committee shall co-opt the Chief Engineer and the head of the Research Institute of that State, or their representatives, if they are not already on the Committee. The Committee will also have he power to co-opt upto three experts who have special knowledge of the subject under consideration.

3. The terms of reference of the Committee will be the same as mentioned in para 4 of the Resolution dated the 8th August, 1961 referred to in para 1 above. Further, as stated in para 5 of that Resolution, the members of the Committee, other than the Director General (Road Development), the President of the Indian Roads Congress and the Director, Central Road Research Institute, will hold office for three years and will be eligible for reappointment.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all the State Governments/Administrations, the Planning Commission, the Ministry of Finance (T&P Division), the Ministry of Education (Department of Science), the Director General, Council of Scientific and Industrial Research, the Director, Central Road Research Institute, the President, Indian Roads Congress, Shri A. D. Dhingra, Managing Director, Heatly and Gresham Ltd., 43, Forbes Street, Fort, Bombay-1, and the Secretary, Indian Roads Congress.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. N. SINHA, Director General (Road Development & Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 12th November 1971

RESOLUTION

No. B.11015/5/71-F(A).—In pursuance of the decision to order an enquiry into the working of the Film and Television Institute of India, Poona the Government of India have now decided to constitute an Enquiry Committee consisting of non-officials and officials to conduct an investigation into this matter and make recommendations to Government on this subject. The composition of the Committee is as follows :

Chairman

Shri G. D. Khosla, ICS (Retired), formerly Chief Justice Punjab.

Members

1. Shri Hrishikesh Mukerjee, Film Director, Bombay.
2. Shri Mani Kaul, Film Director, Bombay.
3. Shrimati Teji Bachchan.
4. Dr. V. K. Narayana Menon (Former DG, AIR).
5. Shri K. L. Khandpur, Controller of the Films Division, Bombay

Shri K. K. Khan Under Secretary, Ministry of Information and Broadcasting will be the Member-Secretary of the Committee.

2. The terms of reference of the Committee will be

(i) to study generally the working of the Film Section of the Film and Television Institute of India and to suggest ways and means for improving its working;

(ii) in particular to scrutinise the prescribed qualifications in the matter of age and general education for admission of students to the various courses and the procedure followed for the purpose and to suggest changes therein;

(iii) to examine the theoretical curricula for the different courses and to suggest improvements;

(iv) to study the system of practical training provided for different courses and suggest improvements;

(v) to examine facilities for board, lodging and other facilities provided in the hostels for Indian and foreign students and to suggest improvements having due regard to the charges payable by the students;

(vi) to suggest ways and means for better utilisation of the financial, technical and other resources provided at the Institute with a view to improving the quality of the diploma-holders who pass out of the Institute, and

(vii) to go into the system of examination and tests prevalent at the Institute and to suggest improvements in them.

3. The Committee will meet as often as considered necessary. The Headquarters of the Committee will be in Poona, but the Committee may visit such places as considered necessary for a proper appraisal of the subject.

4. The Committee will evolve its own procedure.

5. The Committee will commence its work as soon as possible and submit its report to Government within three months from the commencement of the enquiry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, the Prime Minister's Secretariat, all Ministries and Film and Television Institute of India, Poona.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. DUTT, Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

New Delhi the 3rd December 1971

No. Q-16011/4/71-*WE*.—Whereas there has been a change in the composition of persons representing Workers' Organisations on the Central Board for Workers' Education notified in the Ministry of Labour and Rehabilitation notification No. WE-4/1/36/66, dated the 28th November, 1967, published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated the 23rd December, 1967. It is hereby notified for the information of the public that in pursuance of rule 4(iv) of the Rules and Regulations of the said Board, Shri Gopeshwar, General Secretary, Indian National Iron & Steel Workers Federation, Post Box No. 108, Jamshedpur, shall be a member representing the Workers' Organisations on the Central Board for Workers' Education, in place of Shri Kashi Nath Pandey.

2. The following change shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated the December 20, 1958/. Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time.

For the existing entry :

"15. Shri Kashi Nath Pandey, M.P. Indian National Trade Union, Congress"—*Member*—Representing Workers Organisations.

Substitute :

"15. Shri Gopeshwar, General Secretary, Indian National Iron & Steel Workers' Federation, Post Box No. 108, Jamshedpur-1.—*Member*—Representing Workers' Organisations.

No. Q-16011(4)/71-*WE*.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri S. W. Dhabe, Vice President, Indian National Trade Union Congress, Ayachit Road, Circle No. 9, Nagpur-2, a member of the Central Board for Workers' Education, to be a member of the Board of Goverors of the said Board Vice Shri Kashi Nath Pandey.

The 4th December 1971

No. WE-48/7/70.—Shri A. B. Bardhan has been nominated by the All India Trade Union Congress to serve as their representative on the Cetnral Board for Workers' Education. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. E&P.4-(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated December 20, 1958/ Agrahayana 29, 1880 as ameded from time to time :—

For entry—

"14. Shri Vithal Chaudhury, 178, Charni Road, Bombay—

Member, Representing Workers Organisations.

Substitute

"14. Shri A. B. Bardhan, A.I.T.U.C., Sadar, Nagpur—Member, Representing Workers' Organisations

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

7—381GI/71